

“नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व”

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (vii) के अंतर्गत)

- राज्य व जिला स्तरीय दिशा समितियों के लिए मार्गदर्शिका



भारत सरकार के कार्यक्रमों की निगरानी

हेतु

राज्य व जिला स्तरीय दिशा
समितियों के लिए मार्गदर्शिका

2022

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली

विषय वस्तु

क्रम सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
राज्य स्तरीय दिशा समिति		
1.	गृहभूमि	1
2.	उद्देश्य	1
3.	संरचना	1
4.	विद्यारार्थ विषय	3
5.	राज्य स्तरीय दिशा द्वारा कवर किए जाने वाले कार्यक्रम	4
6.	बैठकों की संख्या	6
7.	कार्यसूची और अनुवर्ती कार्रवाई	6
8.	बैठक के लिए व्यय	7
9.	समिति की शक्तियां	7
10.	राज्य स्तरीय दिशा समिति के गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन की प्रक्रियाविधि	8
11.	राज्य स्तरीय दिशा समिति हेतु गैर सरकारी संगठनों / समुदाय आधारित संगठन / स्वैच्छिक संगठन के नामांकन की प्रक्रिया	8
जिला स्तरीय दिशा समिति		
1.	उद्देश्य	9
2.	गृहभूमि	9
3.	संरचना	9
4.	विद्यारार्थ विषय	11
5.	दिशा द्वारा कवर किए जाने वाले कार्यक्रम	12
6.	बैठकों की संख्या	14
7.	बैठकों की अनुवर्ती	12
8.	कार्यसूची और अनुवर्ती कार्रवाई	14
9.	बैठक के लिए व्यय	15
10.	समिति की शक्तियां	15

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

संदेश

विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर दिशा समितियों का गठन किया गया है। दिशा समितियां निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकती हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए तात्कालिक व संकटग्रस्त को बड़ावा दे सकती हैं। दिशा बैठकें न केवल विकासात्मक कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी करने में मदद करती हैं बल्कि सभी हितधारकों से मूल्यवान सुझावों को लेते हुए नीति निर्धारण स्तर पर उपयुक्त सुधार के लिए फीडबैक लूप के रूप में भी काम कर सकती हैं। इस प्रकार दिशा एक पहल है जो सहभागी शासन को बड़ावा देना चाहती है।

इन कार्यक्रमों योजनाओं का कुशल और पारदर्शी तरीके से निष्पादन और इन योजनाओं का लाभ निर्बाध तरीके से गरीबों तक पहुंचाने में संसद सदस्यों व निर्वाचित प्रतिनिधियों की निगरानी की अहम भूमिका है। यह अनिवार्य है कि दिशा समितियों की बैठकें नियमित रूप से दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएं, मुद्दों पर गहराई से चर्चा और त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

संसद के सभी सदस्यों, राज्य सरकारों और दिशा समितियों के अन्य हितधारकों से यह सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग चाहता हूँ कि समितियां प्रभावी ढंग से कार्य करें।

(गिरिराज सिंह)

संसाधन विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
फोन: 2303 2222, 2303 2223, 2303 2224, 2303 2225, 2303 2226, 2303 2227, 2303 2228, 2303 2229, 2303 2230, 2303 2231, 2303 2232, 2303 2233, 2303 2234, 2303 2235, 2303 2236, 2303 2237, 2303 2238, 2303 2239, 2303 2240, 2303 2241, 2303 2242, 2303 2243, 2303 2244, 2303 2245, 2303 2246, 2303 2247, 2303 2248, 2303 2249, 2303 2250, 2303 2251, 2303 2252, 2303 2253, 2303 2254, 2303 2255, 2303 2256, 2303 2257, 2303 2258, 2303 2259, 2303 2260, 2303 2261, 2303 2262, 2303 2263, 2303 2264, 2303 2265, 2303 2266, 2303 2267, 2303 2268, 2303 2269, 2303 2270, 2303 2271, 2303 2272, 2303 2273, 2303 2274, 2303 2275, 2303 2276, 2303 2277, 2303 2278, 2303 2279, 2303 2280, 2303 2281, 2303 2282, 2303 2283, 2303 2284, 2303 2285, 2303 2286, 2303 2287, 2303 2288, 2303 2289, 2303 2290, 2303 2291, 2303 2292, 2303 2293, 2303 2294, 2303 2295, 2303 2296, 2303 2297, 2303 2298, 2303 2299, 2303 2300, 2303 2301, 2303 2302, 2303 2303, 2303 2304, 2303 2305, 2303 2306, 2303 2307, 2303 2308, 2303 2309, 2303 2310, 2303 2311, 2303 2312, 2303 2313, 2303 2314, 2303 2315, 2303 2316, 2303 2317, 2303 2318, 2303 2319, 2303 2320, 2303 2321, 2303 2322, 2303 2323, 2303 2324, 2303 2325, 2303 2326, 2303 2327, 2303 2328, 2303 2329, 2303 2330, 2303 2331, 2303 2332, 2303 2333, 2303 2334, 2303 2335, 2303 2336, 2303 2337, 2303 2338, 2303 2339, 2303 2340, 2303 2341, 2303 2342, 2303 2343, 2303 2344, 2303 2345, 2303 2346, 2303 2347, 2303 2348, 2303 2349, 2303 2350, 2303 2351, 2303 2352, 2303 2353, 2303 2354, 2303 2355, 2303 2356, 2303 2357, 2303 2358, 2303 2359, 2303 2360, 2303 2361, 2303 2362, 2303 2363, 2303 2364, 2303 2365, 2303 2366, 2303 2367, 2303 2368, 2303 2369, 2303 2370, 2303 2371, 2303 2372, 2303 2373, 2303 2374, 2303 2375, 2303 2376, 2303 2377, 2303 2378, 2303 2379, 2303 2380, 2303 2381, 2303 2382, 2303 2383, 2303 2384, 2303 2385, 2303 2386, 2303 2387, 2303 2388, 2303 2389, 2303 2390, 2303 2391, 2303 2392, 2303 2393, 2303 2394, 2303 2395, 2303 2396, 2303 2397, 2303 2398, 2303 2399, 2303 2400, 2303 2401, 2303 2402, 2303 2403, 2303 2404, 2303 2405, 2303 2406, 2303 2407, 2303 2408, 2303 2409, 2303 2410, 2303 2411, 2303 2412, 2303 2413, 2303 2414, 2303 2415, 2303 2416, 2303 2417, 2303 2418, 2303 2419, 2303 2420, 2303 2421, 2303 2422, 2303 2423, 2303 2424, 2303 2425, 2303 2426, 2303 2427, 2303 2428, 2303 2429, 2303 2430, 2303 2431, 2303 2432, 2303 2433, 2303 2434, 2303 2435, 2303 2436, 2303 2437, 2303 2438, 2303 2439, 2303 2440, 2303 2441, 2303 2442, 2303 2443, 2303 2444, 2303 2445, 2303 2446, 2303 2447, 2303 2448, 2303 2449, 2303 2450, 2303 2451, 2303 2452, 2303 2453, 2303 2454, 2303 2455, 2303 2456, 2303 2457, 2303 2458, 2303 2459, 2303 2460, 2303 2461, 2303 2462, 2303 2463, 2303 2464, 2303 2465, 2303 2466, 2303 2467, 2303 2468, 2303 2469, 2303 2470, 2303 2471, 2303 2472, 2303 2473, 2303 2474, 2303 2475, 2303 2476, 2303 2477, 2303 2478, 2303 2479, 2303 2480, 2303 2481, 2303 2482, 2303 2483, 2303 2484, 2303 2485, 2303 2486, 2303 2487, 2303 2488, 2303 2489, 2303 2490, 2303 2491, 2303 2492, 2303 2493, 2303 2494, 2303 2495, 2303 2496, 2303 2497, 2303 2498, 2303 2499, 2303 2500, 2303 2501, 2303 2502, 2303 2503, 2303 2504, 2303 2505, 2303 2506, 2303 2507, 2303 2508, 2303 2509, 2303 2510, 2303 2511, 2303 2512, 2303 2513, 2303 2514, 2303 2515, 2303 2516, 2303 2517, 2303 2518, 2303 2519, 2303 2520, 2303 2521, 2303 2522, 2303 2523, 2303 2524, 2303 2525, 2303 2526, 2303 2527, 2303 2528, 2303 2529, 2303 2530, 2303 2531, 2303 2532, 2303 2533, 2303 2534, 2303 2535, 2303 2536, 2303 2537, 2303 2538, 2303 2539, 2303 2540, 2303 2541, 2303 2542, 2303 2543, 2303 2544, 2303 2545, 2303 2546, 2303 2547, 2303 2548, 2303 2549, 2303 2550, 2303 2551, 2303 2552, 2303 2553, 2303 2554, 2303 2555, 2303 2556, 2303 2557, 2303 2558, 2303 2559, 2303 2560, 2303 2561, 2303 2562, 2303 2563, 2303 2564, 2303 2565, 2303 2566, 2303 2567, 2303 2568, 2303 2569, 2303 2570, 2303 2571, 2303 2572, 2303 2573, 2303 2574, 2303 2575, 2303 2576, 2303 2577, 2303 2578, 2303 2579, 2303 2580, 2303 2581, 2303 2582, 2303 2583, 2303 2584, 2303 2585, 2303 2586, 2303 2587, 2303 2588, 2303 2589, 2303 2590, 2303 2591, 2303 2592, 2303 2593, 2303 2594, 2303 2595, 2303 2596, 2303 2597, 2303 2598, 2303 2599, 2303 2600, 2303 2601, 2303 2602, 2303 2603, 2303 2604, 2303 2605, 2303 2606, 2303 2607, 2303 2608, 2303 2609, 2303 2610, 2303 2611, 2303 2612, 2303 2613, 2303 2614, 2303 2615, 2303 2616, 2303 2617, 2303 2618, 2303 2619, 2303 2620, 2303 2621, 2303 2622, 2303 2623, 2303 2624, 2303 2625, 2303 2626, 2303 2627, 2303 2628, 2303 2629, 2303 2630, 2303 2631, 2303 2632, 2303 2633, 2303 2634, 2303 2635, 2303 2636, 2303 2637, 2303 2638, 2303 2639, 2303 2640, 2303 2641, 2303 2642, 2303 2643, 2303 2644, 2303 2645, 2303 2646, 2303 2647, 2303 2648, 2303 2649, 2303 2650, 2303 2651, 2303 2652, 2303 2653, 2303 2654, 2303 2655, 2303 2656, 2303 2657, 2303 2658, 2303 2659, 2303 2660, 2303 2661, 2303 2662, 2303 2663, 2303 2664, 2303 2665, 2303 2666, 2303 2667, 2303 2668, 2303 2669, 2303 2670, 2303 2671, 2303 2672, 2303 2673, 2303 2674, 2303 2675, 2303 2676, 2303 2677, 2303 2678, 2303 2679, 2303 2680, 2303 2681, 2303 2682, 2303 2683, 2303 2684, 2303 2685, 2303 2686, 2303 2687, 2303 2688, 2303 2689, 2303 2690, 2303 2691, 2303 2692, 2303 2693, 2303 2694, 2303 2695, 2303 2696, 2303 2697, 2303 2698, 2303 2699, 2303 2700, 2303 2701, 2303 2702, 2303 2703, 2303 2704, 2303 2705, 2303 2706, 2303 2707, 2303 2708, 2303 2709, 2303 2710, 2303 2711, 2303 2712, 2303 2713, 2303 2714, 2303 2715, 2303 2716, 2303 2717, 2303 2718, 2303 2719, 2303 2720, 2303 2721, 2303 2722, 2303 2723, 2303 2724, 2303 2725, 2303 2726, 2303 2727, 2303 2728, 2303 2729, 2303 2730, 2303 2731, 2303 2732, 2303 2733, 2303 2734, 2303 2735, 2303 2736, 2303 2737, 2303 2738, 2303 2739, 2303 2740, 2303 2741, 2303 2742, 2303 2743, 2303 2744, 2303 2745, 2303 2746, 2303 2747, 2303 2748, 2303 2749, 2303 2750, 2303 2751, 2303 2752, 2303 2753, 2303 2754, 2303 2755, 2303 2756, 2303 2757, 2303 2758, 2303 2759, 2303 2760, 2303 2761, 2303 2762, 2303 2763, 2303 2764, 2303 2765, 2303 2766, 2303 2767, 2303 2768, 2303 2769, 2303 2770, 2303 2771, 2303 2772, 2303 2773, 2303 2774, 2303 2775, 2303 2776, 2303 2777, 2303 2778, 2303 2779, 2303 2780, 2303 2781, 2303 2782, 2303 2783, 2303 2784, 2303 2785, 2303 2786, 2303 2787, 2303 2788, 2303 2789, 2303 2790, 2303 2791, 2303 2792, 2303 2793, 2303 2794, 2303 2795, 2303 2796, 2303 2797, 2303 2798, 2303 2799, 2303 2800, 2303 2801, 2303 2802, 2303 2803, 2303 2804, 2303 2805, 2303 2806, 2303 2807, 2303 2808, 2303 2809, 2303 2810, 2303 2811, 2303 2812, 2303 2813, 2303 2814, 2303 2815, 2303 2816, 2303 2817, 2303 2818, 2303 2819, 2303 2820, 2303 2821, 2303 2822, 2303 2823, 2303 2824, 2303 2825, 2303 2826, 2303 2827, 2303 2828, 2303 2829, 2303 2830, 2303 2831, 2303 2832, 2303 2833, 2303 2834, 2303 2835, 2303 2836, 2303 2837, 2303 2838, 2303 2839, 2303 2840, 2303 2841, 2303 2842, 2303 2843, 2303 2844, 2303 2845, 2303 2846, 2303 2847, 2303 2848, 2303 2849, 2303 2850, 2303 2851, 2303 2852, 2303 2853, 2303 2854, 2303 2855, 2303 2856, 2303 2857, 2303 2858, 2303 2859, 2303 2860, 2303 2861, 2303 2862, 2303 2863, 2303 2864, 2303 2865, 2303 2866, 2303 2867, 2303 2868, 2303 2869, 2303 2870, 2303 2871, 2303 2872, 2303 2873, 2303 2874, 2303 2875, 2303 2876, 2303 2877, 2303 2878, 2303 2879, 2303 2880, 2303 2881, 2303 2882, 2303 2883, 2303 2884, 2303 2885, 2303 2886, 2303 2887, 2303 2888, 2303 2889, 2303 2890, 2303 2891, 2303 2892, 2303 2893, 2303 2894, 2303 2895, 2303 2896, 2303 2897, 2303 2898, 2303 2899, 2303 2900, 2303 2901, 2303 2902, 2303 2903, 2303 2904, 2303 2905, 2303 2906, 2303 2907, 2303 2908, 2303 2909, 2303 2910, 2303 2911, 2303 2912, 2303 2913, 2303 2914, 2303 2915, 2303 2916, 2303 2917, 2303 2918, 2303 2919, 2303 2920, 2303 2921, 2303 2922, 2303 2923, 2303 2924, 2303 2925, 2303 2926, 2303 2927, 2303 2928, 2303 2929, 2303 2930, 2303 2931, 2303 2932, 2303 2933, 2303 2934, 2303 2935, 2303 2936, 2303 2937, 2303 2938, 2303 2939, 2303 2940, 2303 2941, 2303 2942, 2303 2943, 2303 2944, 2303 2945, 2303 2946, 2303 2947, 2303 2948, 2303 2949, 2303 2950, 2303 2951, 2303 2952, 2303 2953, 2303 2954, 2303 2955, 2303 2956, 2303 2957, 2303 2958, 2303 2959, 2303 2960, 2303 2961, 2303 2962, 2303 2963, 2303 2964, 2303 2965, 2303 2966, 2303 2967, 2303 2968, 2303 2969, 2303 2970, 2303 2971, 2303 2972, 2303 2973, 2303 2974, 2303 2975, 2303 2976, 2303 2977, 2303 2978, 2303 2979, 2303 2980, 2303 2981, 2303 2982, 2303 2983, 2303 2984, 2303 2985, 2303 2986, 2303 2987, 2303 2988, 2303 2989, 2303 2990, 2303 2991, 2303 2992, 2303 2993, 2303 2994, 2303 2995, 2303 2996, 2303 2997, 2303 2998, 2303 2999, 2303 3000, 2303 3001, 2303 3002, 2303 3003, 2303 3004, 2303 3005, 2303 3006, 2303 3007, 2303 3008, 2303 3009, 2303 3010, 2303 3011, 2303 3012, 2303 3013, 2303 3014, 2303 3015, 2303 3016, 2303 3017, 2303 3018, 2303 3019, 2303 3020, 2303 3021, 2303 3022, 2303 3023, 2303 3024, 2303 3025, 2303 3026, 2303 3027, 2303 3028, 2303 3029, 2303 3030, 2303 3031, 2303 3032, 2303 3033, 2303 3034, 2303 3035, 2303 3036, 2303 3037, 2303 3038, 2303 3039, 2303 3040, 2303 3041, 2303 3042, 2303 3043, 2303 3044, 2303 3045, 2303 3046, 2303 3047, 2303 3048, 2303 3049, 2303 3050, 2303 3051, 2303 3052, 2303 3053, 2303 3054, 2303 3055, 2303 3056, 2303 3057, 2303 3058, 2303 3059, 2303 3060, 2303 3061, 2303 3062, 2303 3063, 2303 3064, 2303 3065, 2303 3066, 2303 3067, 2303 3068, 2303 3069, 2303 3070, 2303 3071, 2303 3072, 2303 3073, 2303 3074, 2303 3075, 2303 3076, 2303 3077, 2303 3078, 2303 3079, 2303 3080, 2303 3081, 2303 3082, 2303 3083, 2303 3084, 2303 3085, 2303 3086, 2303 3087, 2303 3088, 2303 3089, 2303 3090, 2303 3091, 2303 3092, 2303 3093, 2303 3094, 2303 3095, 2303 3096, 2303 3097, 2303 3098, 2303 3099, 2303 3100, 2303 3101, 2303 3102, 2303 3103, 2303 3104, 2303 3105, 2303 3106, 2303 3107, 2303 3108, 2303 3109, 2303 3110, 2303 3111, 2303 3112, 2303 3113, 2303 3114, 2303 3115, 2303 3116, 2303 3117, 2303 3118, 2303 3119, 2303 3120, 2303 3121, 2303 3122, 2303 3123, 2303 3124, 2303 3125, 2303 3126, 2303 3127, 2303 3128, 2303 3129, 2303 3130, 2303 3131, 2303 3132, 2303 3133, 2303 3134, 2303 3135, 2303 3136, 2303 3137, 2303 3138, 2303 3139, 2303 3140, 2303 3141, 2303 3142, 2303 3143, 2303 3144, 2303 3145, 2303 3146, 2303 3147, 2303 3148, 2303 3149, 2303 3150, 2303 3151, 2303 3152, 2303 3153, 2303 3154, 2303 3155, 2303 3156, 2303 3157, 2303 3158, 2303 3159, 2303 3160, 2303 3161, 2303 3162, 2303 3163, 2303 3164, 2303 3165, 2303 3166, 2303 3167, 2303 3168, 2303 3169, 2303 3170, 2303 3171, 2303 3172, 2303 3173, 2303 3174, 2303 3175, 2303 3176, 2303 3177, 2303 3178, 2303 3179, 2303 3180, 2303 3181, 2303 3182, 2303 3183, 2303 3184, 2303 3185, 2303 3186, 2303 3187, 2303 3188, 2303 3189, 2303 3190, 2303 3191, 2303 3192, 2303 3193, 2303 3194, 2303 3195, 2303 3196, 2303 3197, 2303 3198, 2303 3199, 2303 3200, 2303 3201, 2303 3202, 2303 3203, 2303 3204, 2303 3205, 2303 3206, 2303 3207, 2303 3208, 2303 3209, 2303 3210, 2303 3211, 2303 3212, 2303 3213, 2303 3214, 2303 3215, 2303 3216, 2303 3217, 2303 3218, 2303 3219, 2303 3220, 2303 3221, 2303 3222, 2303 3223, 2303 3224, 2303 3225, 2303 3226, 2303 3227, 2303 3228, 2303 3229, 2303 3230, 2303 3231, 2303 3232, 2303 3233, 2303 3234, 2303 3235, 2303 3236, 2303 3237, 2303 3238, 2303 3239, 2303 3240, 2303 3241, 2303 3242, 2303 3243, 2303 3244, 2303 3245, 2303 3246, 2303 3247, 2303 3248, 2303 3249, 2303 3250, 2303 3251, 2303 3252, 2303 3253, 2303 3254, 2303 3255, 2303 3256, 2303 3257, 2303 3258, 2303 3259, 2303 3260, 2303 3261, 2303 3262, 2303 3263, 2303 3264

राज्य स्तरीय दिशा समिति

1. पृष्ठभूमि

राज्य और जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियाँ (वी एंड एमसी) शुरुआत में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी का महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी। विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के व्यापक सार्वजनिक वित्तपोषण वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही इन समितियों का गठन किया गया था। तथापि, समय बीतने के साथ साक्ष्य आधारित अनुसंधान से यह सिद्ध हुआ कि स्थायी और समेकित ग्रामीण विकास के लिए तालमेल के माध्यम से त्वरित ग्रामीण विकास के साझा लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा मूल्यांकन में तालमेल सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता और निगरानी समितियों के स्थान पर अधिक कारगर अंतर-मंत्रालयी प्लेटफॉर्म के जरिए निगरानी के नए आयाम की परिकल्पना के लिए कुछ बदलाव करने की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों जिलों में जिला विकास समन्वयन और निगरानी समितियों (दिशा) का गठन करने की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है तथा इस संबंध में दिशा-निर्देश 27 जून, 2016 को जारी किए गए थे जिस बाद में 10 जनवरी, 2018 को पुनः संशोधित किया गया था। इस प्रकार, जिला स्तर पर दिशा पूर्णतः कार्यरत है।

अगले चरण के रूप में राज्य स्तर पर दिशा व्यवस्था के गठन की आवश्यक समझा गया। इसकी आवश्यकता इस तथ्य से भी सिद्ध होती है कि जिला स्तरीय दिशा समितियों की बैठकों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शीघ्र सार्वजनिक समन्वय के अभाव में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण और तात्कालिक मुद्दे उपेक्षित रह सकते हैं। ऐसे मुद्दों का राज्य में उच्चतम स्तर पर समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इन दिशा-निर्देशों में प्रत्येक राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र में गठित की जाने वाली राज्य दिशा समितियों की संगठनात्मक संरचना और कार्य निर्धारित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किए जाने पर राज्य स्तरीय दिशा समितियाँ संगत दिशा-निर्देशों के अधीन राज्य स्तर पर कार्यरत सतर्कता और निगरानी समितियों का स्थान लेगी।

2. उद्देश्य

समय के साथ स्थायी विकास, अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति और मानव संसाधन विकास में सुधार, सामान्य जन कल्याण तथा गरीबी के उन्मूलन के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कार्यक्रम/योजनाएँ शुरू की गई हैं। विशेषकर केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च की जाने वाली सार्वजनिक निधियों के अधिकतम उपयोग के संदर्भ में व्यय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय दिशा समितियों की परिकल्पना की जा रही है। ये समितियाँ निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और विभिन्न कार्यक्रमों के बीच तालमेल को बढ़ावा देगी, अधिक व्यापक समयबद्ध प्रभाव के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मौजूद असमानताओं की समीक्षा करेगी। इसके उद्देश्यों में राज्य में केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को अहम भूमिका प्रदान करना शामिल है। यह केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को सीपी गई जिम्मेदारियों की संवैधानिक व्यवस्था में विकास के समन्वय और निगरानी में सुधार लाने का प्रयास है।

3. संरचना

राज्य स्तरीय दिशा समितियों की संरचना इस प्रकार होगी -

अध्यक्ष: राज्य स्तरीय दिशा समिति की अध्यक्षता विधानमंडल वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री करेंगे। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों में उपराज्यपाल/प्रशासक, जैसी भी स्थिति हो, दिशा के अध्यक्ष होंगे। सामान्यतः ग्रामीण विकास मंत्री को सह-अध्यक्ष पदनामित किया जाएगा। तथापि, यह अध्यक्ष का विवेकाधिकार होगा कि वह राज्य के किसी अन्य विभाग के प्रभारी मंत्री को सह-अध्यक्ष के रूप में नामित कर सकता है।

राज्य में निर्वाचित सरकार न होने की स्थिति में समिति में वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोकसभा) को अध्यक्ष और उसके बाद अगले वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोक सभा) को सह-अध्यक्ष होना चाहिए।

सदस्य सचिव: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को समिति के सदस्य सचिव के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए।

सदस्य: समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार होने चाहिए:

- i. राज्य से लोकसभा में प्रत्येक राजनैतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में एक संसद सदस्य (लोक सभा) और एक निर्दलीय संसद सदस्य (लोक सभा), यदि कोई हो;
- ii. (अ) राज्य से निर्वाचित संसद सदस्य (राज्य सभा)। राज्य स्तरीय दिशा समिति में संसद सदस्यों (राज्य सभा) की संख्या उस समिति में संसद सदस्यों (लोकसभा) की संख्या से आधी होनी चाहिए,
- (ब) किसी विशेष राज्य स्तरीय दिशा समिति में मनोनीत होने वाले सांसदों की संख्या उस राज्य में सांसदों की कुल संख्या के कम से कम 10% के बराबर होनी चाहिए।

टिप्पणी: (क) समिति में संसद सदस्यों की न्यूनतम संख्या लोकसभा से 4 और राज्य सभा से 2 होनी चाहिए। यदि

विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इस निर्धारित संख्या से कम हैं तो समिति में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा।

(ख) लोकसभा और राज्यसभा के संसद सदस्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय के परामर्श से नामित किया जाएगा।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय संसदीय मामलों के मंत्रालय के परामर्श से किसी भी विशेष परिस्थितियों के कारण किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की राज्य स्तरीय दिशा समिति में सांसदों की संख्या (बि.) से अधिक बढ़ा सकता है।

iii. राज्य सरकार छह विधायकों को नामित करेगी, जिनमें से दो विपक्षी दलों से होने चाहिए, यदि उपलब्ध हों,

iv. राज्य दिशा समिति की निगरानी में शामिल किए जाने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार के विभागों, जैसे कि ग्रामीण विकास, वित्त, आयोजना, राजस्व और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव/प्रशासक के सलाहकार के प्रस्ताव के अनुसार अन्य किसी संबंधित विभाग के सचिव/अध्यक्ष;

v. राज्य में सर्कल (सर्कल) के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल;

vi. निदेशक, संस्थागत वित्त,

vii. प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम,

viii. प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष स्टेशन विकास निगम,

ix. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाने वाला जाति एवं सामाजिक आयों का एक प्रतिनिधि;

x. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित श्रेणियों से समिति के सदस्यों के रूप में 4 सदस्यों को नामित कर सकता है-

क) सामाजिक, शैक्षिक या सार्वजनिक क्षेत्र से लिया गया राज्य का गण्यमान्य व्यक्ति जिसके पास क्षेत्र/राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास की विशेष जानकारी या अनुभव हो।

ख) क्षेत्र/राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास क्षेत्र में उस राज्य या क्षेत्र में कार्य कर रहे सिविल सोसायटी संगठन का गण्यमान्य व्यक्ति/पदधारी।

ग) वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में गण्यमान्य व्यक्ति (60 वर्ष से अधिक आयु का)।

बशर्ते उपर्युक्त व्यक्तियों में से कम से कम एक व्यक्ति महिला होगी और उपर्युक्त व्यक्तियों में से कम से कम एक व्यक्ति या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से होगा।

बशर्ते समिति के सदस्यों के रूप में इन व्यक्तियों को जारी रखे जाने का विवेकाधिकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पास होगा।

बशर्ते कि दिशानिर्देशों के पैरा 10 में दिए गए विवरण के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित चार गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन

xi. राज्य के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय दिशा समिति में सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।

xii. किसी भी दो प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों/स्वयं सहाय एजेंसियों में से प्रत्येक के

राज्य द्वारा नामित किए जाने वाले एक-एक प्रतिनिधि,

xiii. विशेष आमंत्रिणी के रूप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंक के प्रबंध निदेशक,

xiv. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का एक प्रतिनिधि (क्षेत्र अधिकारी)।

नोट: 3(i), 3(ii), 3(ix), 3(x), 3(xi) और 3(xiii) में उल्लिखित सांसदों व अन्य सदस्यों सदस्यों के अलावा अन्य श्रेणियों में सदस्यों का नामांकन राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से किया जाएगा।

4. विचारार्थ विषय

i. जिला स्तरीय दिशा समितियों में लिए जाने वाले निर्णयों के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा।

ii. विभिन्न विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार और स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मानव संसाधनों को तैनाती और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा।

iii. कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करना और अनुमोदित कार्यक्रमों की रूपरेखा में सुधार और मध्यावधि सुधारों के सुझाव देना।

iv. विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के संघ में राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए निधियों के प्रवाह की समीक्षा करना।

v. विभिन्न विकास परियोजनाओं और भूमि संबंधी मुद्दों के समाधान के संबंध में घाटे (एंग) कोई मुद्दा हो राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित मजूरियां समय पर प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न

परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के आड़े आ रही बाधाओं की समीक्षा करना।

- vi. अभीष्ट परिणामों की प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों की प्रभावी प्रदायगी सुनिश्चित करने वाली सभी समयबद्ध राष्ट्रीय पहलों की निरंतर निगरानी करना।
- vii. लाभार्थियों के गलत चयन, निधियों के दुर्विनियोजन/विपथन सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों/कथित अनियमितताओं की जांच करना और अनुवर्ती कार्रवाई की सिफारिश करना।
- viii. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लाभार्थियों को निधियों के प्रवाह के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन और आधार नम्बर दर्ज किए जाने वाले खातों के उपयोग के विषय में उपयुक्त निर्देश देना।
- ix. केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मुद्दों का निर्धारण करना।
- x. आवश्यकता महसूस होने पर दिशा के अंतर्गत निगरानी में शामिल कार्यक्रमों से संबंधित कोई मामला ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजना, जो कि आगे उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालय के साथ समन्वय करेगा और तदनुसार संबंधित दिशा समिति को सूचित करेगा।
- xi. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मामला।

5. राज्य स्तरीय दिशा समिति द्वारा कवर किए जाने वाले कार्यक्रम

राज्य स्तरीय दिशा समिति भारत सरकार की सभी गैर-सांविधिक योजनाएं कवर करती है। तथापि, योजना के व कार्या

जो विशेष रूप से एक संविधि के अंतर्गत सौंपे गए हैं, उन्हें निगरानी के प्रयोजनार्थ किसी अन्य समिति को नहीं सौंपा जा सकता है। ऐसे मामलों में, मौजूदा सांविधिक प्रावधान लागू होंगे। योजनाओं की सुझाई गई सूची इस प्रकार है:

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) (<https://nrega.nic.in>)
2. दीन दयाल अंत्यादय योजना- एनआरएलएम (<https://aaajeevika.gov.in>)
3. दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकैवाई) (<http://ddugky.gov.in>)
4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (जीएमजीएसवाई) (<http://omms.nic.in>)
5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) (<https://nsap.nic.in>)
6. प्रधान मंत्री आवास योजना (सभी के लिए मकान-शहरी) (<https://pmay-urban.gov.in>)
7. प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) (<https://rthreporting.nic.in>)
8. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) (<https://sbmurban.org>)
9. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) (<https://sbm.gov.in>)
10. जन जीवन मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण राजस्व कार्यक्रम) ([@imisreports](https://eajalshakti.gov.in))
11. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - राष्ट्रीय जलसंचयन कार्यक्रम आईडब्ल्यूएमपी (<https://iwmpmis.nic.in>)

12. डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनआईएलआरएमपी) (<http://dilrmp.gov.in>)
13. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयू-जीजेवाई) (<http://www.ddugjy.gov.in>)
14. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन - राष्ट्रीय रबन मिशन (एनआरयूएम) (<https://rurban.gov.in>)
15. हेरिटेज शहर विकास और वृद्धि योजना (हृदय) (<https://mohua.gov.in>)
16. अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) (<http://amrut.gov.in>)
17. स्मार्ट सिटीज मिशन (<https://smartcities.gov.in>)
18. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) (<https://pmfby.gov.in>)
19. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) (<https://www.nhm.gov.in>)
20. सार्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (<https://samagra-education.gov.in>)
21. समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) (<https://icds-wcd.nic.in>)
22. मिड-डे मील स्कीम (<http://mdm.nic.in/mdm-website>)
23. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) (<https://www.pmyu.gov.in>)
24. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (<https://www.msde.gov.in/enr/schemes-initiatives/short-term-training/pmkvy-3.0>)
25. डिजिटल इंडिया - पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम - प्रत्येक ग्राम पंचायत में साइबे सेवा केंद्र उपलब्ध कराना (<https://digitalindia.gov.in>)
26. टेलीकॉम, रेलवेज, हाइवेज, वाटरवेज, माइन्स आदि जैसे अवसरचना संबंधी कार्यक्रम (<http://jmvp.nic.in>), Parivahan
27. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) (<https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/PMKKKY%20Guidelines.pdf>)
28. एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) (<https://www.ipds.gov.in>)
29. संसाधनों का केंद्रीय असाधारण पूल (एनएलसीपीआर) योजना (<https://mdoner.gov.in/nicpr-background>)
30. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (<https://rkvy.nic.in>)
31. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) (<https://pgsindia-ncof.gov.in/PKVY/Index.aspx>)
32. मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएवसी) (<https://www.soilhealth.dac.gov.in>)
33. ई-नशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स (ई-एनएएम) (<https://www.enam.gov.in>)
34. पीएमएएसवाई (एचककेपी) (<https://pmksy.gov.in>)
35. त्वरित सिचाई जल कार्यक्रम (<https://pmksy-mow.nic.in/aibp-mis>)

36. कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम(<https://cadwm.gov.in>)
37. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) (<https://www.pmagy.gov.in>)
38. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (<https://www.kviconline.gov.in@pmegpeportal/pmegphome/index.jsp>)
39. सुगम्य भारत अभियान (<https://www.india.gov.in/spotlight/accessible-india-campaign>)
40. बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ (<https://wcd.nic.in/bbbp-schemes>)
41. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन (<https://nfsa.gov.in>)
42. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (<https://www.mplads.gov.in>)
43. प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (<https://wcd.nic.in/schemes/pradhan-mantri-matru-vandana-yojana>) दिशा राज्य स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा किए जाने वाले केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम/योजना के समावेशन अथवा वहिर्वेशन करने का निर्णय ग्रामीण विकास मंत्रालय का होगा।

6. बैठकों की संख्या

माननीय संसद सदस्यों/विधायकों और अन्य सभी सदस्यों को सूचना के लिए पर्याप्त समय देते हुए राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठकों प्रत्येक छमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए। सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आंशिक रूप से ही पूरी होने के मामले में भी बैठक का आयोजन

दिशा समिति के अध्यक्ष के परामर्श से किया जा सकता है। नामित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सह अध्यक्ष (यदि कोई हो), बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यदि अध्यक्ष/सह अध्यक्ष उपस्थित न हो तो बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों में से ही सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए।

बैठक की सूचना और कार्यसूची नोट सभी सदस्यों को बैठक शुरू होने के कम से कम 10 दिन पहले मिल जाना चाहिए।

सदस्य सचिव बैठक के आयोजन के लिए जिम्मेदार होगा। सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैठक की सूचना, कार्यसूची नोट और बैठकों की कार्यवाहियां ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट और राज्य की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई हैं।

7. कार्यसूची और अनुवर्ती कार्रवाई

क. कार्यसूची:

प्रत्येक राज्य स्तरीय दिशा समिति को छमाही बैठकों के लिए अपनी कार्यसूची प्रणाली स्वयं तैयार करनी होगी। पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अगली बैठक के लिए कार्यसूची का पहला मद होगी। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कार्यसूची में स्थायी मुद्दे शामिल होने चाहिए। पिछली बैठकों के दौरान इंगित की गई अनियमितताओं की स्थिति और की गई कार्रवाई की समीक्षा बैठकों के दौरान जांच-सूची का अभिन्न भाग होनी चाहिए।

ख. अनुवर्ती कार्रवाई

बैठकों का कार्यक्रम इसका आयोजन के 10 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाना चाहिए। संबंधित मंत्रालय/विभागों को कार्रवाई करने के लिए बैठकों के कार्यक्रमित भजे जाएंगे। सदस्य सचिव को सुनिश्चित करना चाहिए कि बैठकों की कार्यवाही ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट और राज्य की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। दिशा समिति की सिफारिशों पर

अनुवर्ती कार्रवाई बैठक के आयोजन के 30 दिन के अंदर शुरू कर देनी चाहिए। दिशा बैठकों में की गई कार्रवाई की निगरानी की जाएगी। राज्य स्तरीय दिशा समिति द्वारा जिन कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है, उनके निष्पादन के लिए राज्य के मुख्यालय के लाइन विभागों के अधिकारी जिम्मेवार होंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय/विभाग को इसके कार्यों में समिति के कार्यों में सहायता करनी चाहिए।

केंद्रीय और केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत राज्यों को रिलीज देते समय राज्य स्तरीय दिशा समितियों के नियमित आयोजन और इनमें लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।

8. बैठक के लिए व्यय

राज्य प्रशासन लागू मानदंड के अनुसार, राज्य स्तर पर दिशा की बैठक के आयोजन पर खर्च कर सकता है। तथापि, प्रति बैठक कुल 3,00,000 रु. से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए और संबंधित राज्य सरकार द्वारा वास्तविक आधार पर बिल मंजूर किए जाएंगे। राज्य स्तरीय दिशा समिति के लिए व्यय संबंधी मानदण्ड नीचे दिए गए हैं:-

क. संसद सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्यों के अलावा गैर-सरकारी सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए राज्य में यात्रा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य के समूह के अधिकारियों के लिए अनुमेय सीमा के अनुसार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।

ख. संसद सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्यों के अलावा गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य के समूह के अधिकारियों के लिए लागू राज्य सरकार के दैनिक भत्ता दर के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

ग. बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा जलपान/दोस्त के भोजन पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति प्रमाणित स्वीट प्रस्तुत करने पर की जा सकती है।

घ. दिशा की बैठक के लिए यथा उपेक्षित अन्य उपकरणों, स्थान तथा आधारभूत सुविधाओं के लिए राज्य में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

ङ. बैठक के दौरान कम्प्यूटर, स्टेशनरी, कार्यालय परिसर, फर्नीचर तथा टेलीफोन इत्यादि जैसी मदों पर व्यय राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

च. खर्च का व्यौरा राज्य स्तर पर रखा जाएगा तथा वास्तविक व्यय के आधार पर राज्य प्रशासन द्वारा दावा किया जाना चाहिए।

छ. किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दावा की गई राशि की प्रतिपूर्ति ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा, किंतु यह प्रति बैठक 3,00,000 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. समिति की शक्तियां

यह समिति एजेंडा नोट के माध्यम से इसके विचारार्थ लाई गई विकास परक परियोजनाओं के समन्वय तथा निगरानी के कार्य करेगी। यह उपरोक्त पैरा 5 में दी गई सूची में उल्लिखित विकास परक परियोजनाओं के समन्वय कर्मान्वायन में आ रही श्रद्धाओं को दूर करने के लिए राज्य अधिकारियों का निर्देश जारी करेगी। इसके अलावा समिति उचित विचार-विमर्श के बाद राज्य स्तरीय दिशा बैठक के दौरान किए गए निर्णयों के संभव में आगे की प्रभावी जानकारी देने के लिए अधिकृत होगी।

10. राज्य स्तरीय दिशा समिति के गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन की प्रक्रियाविधि

10.1 राज्य स्तरीय दिशा समिति के माध्यम से विकास संबंधी एजेंडों के बारे में विस्तृत एवं सुचित चर्चा को आसान बनाने के लिए दिशा-निर्देशों के पैरा 3(X) में यह परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय 4 सदस्य तक नामित करेगा। चयन प्रक्रिया एवं सदस्यों की कार्यावधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

10.1.1 चयन प्रक्रिया - ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य स्तरीय दिशा समिति में नामित किए जाने के लिए विकासात्मक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले गण्यमान्य व्यक्तियों या अलग-अलग गण्यमान्य व्यक्तियों से रुचि की अभिव्यक्ति मांगेगा।

10.1.2 आमंत्रण के जरिए गण्यमान्य व्यक्तियों की ओर से उनकी स्वैच्छा मांगी जाएगी जिसमें मंत्रालय की वेबसाइट में और साथ ही संबंधित राज्यों की वेबसाइट में पोस्ट किया जाएगा।

10.1.3 इस प्रकार प्राप्त रुचि की अभिव्यक्तियों की जांच दिशा कार्यक्रम के प्रमोटी अपर सचिव/सीईए की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी। समिति में सदस्य के रूप में संयुक्त सचिव (एन आर एस एम), संयुक्त सचिव (ग्रामीण आवास), महानिदेशक (एन आई आर डी) और आर्थिक सलाहकार शामिल होंगे। इस समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

10.1.4 राज्य स्तरीय दिशा समिति का हिस्सा माने जाने के लिए इसमें दिनचर्या के रखन वाले गण्यमान्य व्यक्तियों को इस विषय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय और संबंधित राज्य

की वेबसाइट पर मांगी गई जानकारी को देना होगा और राष्ट्रीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर, जैसा भी नामला हो, पर सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव के संबंध में एक पृष्ठ का नोट प्रस्तुत करना होगा।

10.1.5 राज्य स्तरीय दिशा समिति के लिए नामित सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष या लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल के साथ-साथ, जो भी पहले हो, होगा।

10.1.6 चूंकि दिशा समितियां राष्ट्रहित में सामूहिक रूप से कार्य करती हैं, इसीलिए राज्य स्तरीय दिशा समिति के साथ जुड़े रहने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए किसी विशेष पारिश्रमिक की परिकल्पना नहीं की जा रही है। इसमें पैरा 8 क और 8 ख में उल्लिखित बातों को अपवादस्वरूप रखा गया है।

11. राज्य स्तरीय दिशा समिति हेतु गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठन/स्वैच्छिक संगठन के नामांकन की प्रक्रिया

1. राज्य उनके पास उपलब्ध पैरल से राज्य स्तरीय दिशा-समिति के लिए एनजीओ/समुदाय आधारित संगठनों / स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यक संख्या के नामांकन के लिए सक्षम प्राधिकारी होने चाहिए।

2. उक्त समिति में एनजीओ/समुदाय आधारित संगठनों / स्वैच्छिक संगठनों के नामांकन के लिए संबंधित राज्य सरकार उचित दिशा-निर्देश तैयार करेगी और अपने द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप दो सदस्य तक का नामित करेगी।

जिला स्तरीय दिशा समिति-जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा)

1. उद्देश्य

अवसंरचना और मानव विकास में सुधार तथा जन सामान्य के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे देश के जिलों के प्रभावी और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य विधान मंडलों और स्थानीय सरकारों (पंचायती राज संस्थाओं/नगरपालिका निकायों) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियाँ (दिशा) गठित की जा रही हैं। ये समितियाँ निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की निगरानी कर सकती हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए तालमेल एवं संकेद्रण को बढ़ावा दे सकती हैं। दिशा का दर्जा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फिलहाल अधिदेशित जिला स्तरीयता और निगरानी समितियाँ से ऊपर होगा।

2. पृष्ठभूमि

भारत के संविधान के भाग IX में पंचायती सत्त्वी प्रावधान किए गए हैं और भाग XI में संघ और राज्यों के संबंध को परिभाषित किया गया है। 7वीं अनुसूची की सूची-1 में संघ सूची, सूची-11 में राज्य सूची और सूची-111 में केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारियाँ वाली समवर्ती सूची दर्शायी गई है। इसी प्रकार 11वीं अनुसूची में उन 29 मदों का दर्शाया गया है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी हैं और 12वीं अनुसूची में उन 18 मदों का दर्शाया गया है जो कि शहरी स्थानीय सरकारों के अधीन हैं।

अनुच्छेद 243 छ में राज्य विधानमंडल को यह प्राधिकार दिया गया है कि वे आयोजना और कार्यान्वयन की शक्ति स्थानीय सरकारों को प्रदान कर सकती है।

अनुच्छेद 243 ग में जिला आयोजना समिति (डीपीसी) के प्राधिकार का प्रावधान है।

केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को सीपी गई जिम्मेदारियों की संवैधानिक व्यवस्था के तहत विकास समन्वय एवं निगरानी को बढ़ावा देने के लिए दिशा एक व्यवस्था है।

3. संरचना

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की संरचना इस प्रकार होगी।

अध्यक्ष: दिशा समिति का अध्यक्ष जिले से निर्वाचित संसद सदस्य (लोक सभा) होना चाहिए, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाए। नामांकन के मानदंड इस प्रकार होने चाहिए।

1. जहाँ कहीं एक से अधिक संसद सदस्य (लोक सभा) जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोक सभा) को अध्यक्ष नामित किया जाना चाहिए। यद्यपि यह मंत्रालय द्वारा बनाए रखे जाने वाले पूर्वता-अनुभव को प्रभावित किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप प्रभाव हो सकता है।

ii. यदि जिले में एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (लोक सभा) उस जिले के खंड के रूप में मौजूद हों और वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोक सभा) को किसी अन्य जिले की दिशा का अध्यक्ष बना दिया जाए तो अगले वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोक सभा) को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।

iii. समान वरिष्ठता के मामले में उस संसद सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, जिसके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संबंधित जिले का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र आता हो।

सह-अध्यक्ष :

क. जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संसद सदस्यों (लोक सभा) को सह-अध्यक्ष पदनामित किया जाना चाहिए।

ख. राज्य सभा संसद सदस्य: राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले और उस जिले की जिला स्तरीय समिति से जुड़ने के विकल्प का प्रयोग करने वाले किसी संसद सदस्य (राज्य सभा) (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सह-अध्यक्ष पदनामित किया जाएगा।

टिप्पणी: गृह मंत्रालय द्वारा बनाए रखे जाने वाले पूर्वता-अधिपत्र के अनुसार यदि राज्य सभा से संसद सदस्य वरिष्ठ हो तो उसे समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

सदस्य सचिव: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) का सदस्य सचिव जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उप-आयुक्त होगा। इसमें उन मामलों को छोड़ दिया गया है जहां केंद्र सरकार द्वारा विशेष छूट दी गई है। अति विरिष्ट परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट/उपआयुक्त जिला परिषद के सचिवों अथवा वरिष्ठ एडीएम को उस विशेष बैठक के लिए सदस्य सचिव के रूप में अधिकृत कर सकता है ताकि दिशा

की बैठकों का आयोजन कार्यक्रमानुसार किया जाना सुनिश्चित हो सके।

सदस्य: समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

- (i) जिले से निर्वाचित सभी विधान सभा सदस्य
- (ii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का एक प्रतिनिधि
- (iii) सभी मेयर/नगरपालिकाओं के अध्यक्ष (कम से कम एक महिला सहित) और ग्राम पंचायतों के पांच निर्वाचित प्रमुखों (दो महिलाओं सहित) को समिति में अध्यक्ष और अन्य संसद सदस्यों द्वारा नामित किया जाएगा।
- (iv) जिला पंचायत का अध्यक्ष
- (v) अनुसूची VI क्षेत्रों वाले जिलों में स्वायत्त जिला परिषद का प्रमुख।
- (vi) जिले में मध्यस्तरीय पंचायतों के सभी अध्यक्ष।
- (vii) जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- (viii) परियोजना निदेशक, डीआरडीए/गरीबी उपशमन इकाई।
- (ix) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित वर्गों में से चार सदस्यों तक समिति में नामांकित कर सकता है,
 - (अ) जिले से सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्र से लघुमान प्रख्यात व्यक्ति जिन्हें क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के सक्रिय विशेष अनुभव हो
 - (ब) जिले के प्रख्यात व्यक्ति, नागरिक सामाजिक संगठन पदाधिकारी जो जिले के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संलग्न हो

(स) वरिष्ठ नागरिक श्रेणी का प्रख्यात व्यक्ति (साठ वर्ष से ऊपर)।

उपर्युक्त में से कम से कम एक महिला और कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।

इन व्यक्तियों को समिति के सदस्यों के रूप में आगे की निरंतरता प्रदान करना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के विवेक पर निर्भर होगा।

(x) अध्यक्ष और समिति में अन्य संसद सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जाने वाला किसी प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन से एक सदस्य।

(xi) अध्यक्ष और समिति में अन्य संसद सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जाने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग का एक-एक प्रतिनिधि।

(xii) जिले के प्रमुख बैंक अधिकारी।

(xiii) डाक विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक।

(xiv) सभी कार्यक्रमों के जिला-स्तरीय मॉडल कर्मों जो दिशा के दायरे में काम करेंगे। कार्यक्रमों की सूची नीचे पैरा 5 में दी गई है।

4. विचारार्थ विषय

(i) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ii) किसी भी प्रकार के बाधा को दूर करने के लिए समेकित समाधान ढूँढने में मदद करना।

(iii) डीपीसी द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के सुगम क्रियान्वयन में मदद करना।

(iv) शीघ्रता से प्राथमिकताएं तय करने के लिए भूमि और स्थान के प्रावधानों से संबंधित मामलों को निपटाना।

(v) सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में डीपीसी का मार्गदर्शन करना और उन्हें यह बताना कि जिले में बदलाव लाने के लिए इनका किस तरह उपयोग किया जा सकता है।

(vi) संसद, राज्य विधान सभाओं और स्थानीय सरकारों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मुद्दों का निर्धारण करना ताकि उद्देश्यों को समय पर पूरा किया जा सके।

(vii) व्यापक कवरेज के लिए सभी समयबद्ध राष्ट्रीय पहलों की गहन निगरानी करना।

(viii) अनुमोदित कार्यक्रमों की डिजाइन को सुधारने या मध्यावधि सुधार करने के लिए कार्यान्वयन से जुड़ी अड़चनों को दूर करना।

(ix) लाभाधिकारों के गलत अर्थ, निधियों के दुर्विनियोजन/अन्यत्र उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों/कथित अनियमितताओं की जांच करना और अनुवर्ती कार्रवाई की सिफारिश करना। समिति को इस प्रयोजनार्थ किसी भी अभिलेख की जांच करने और सम्मन जारी करने का अधिकार होगा। समिति जांच के लिए किसी भी मामले को जिला कलेक्टर/जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/डीआरडीए (अथवा गरीबी उपशमन इकाई) के परियोजना निदेशक को भेज सकती है अथवा नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई किए जाने का सुझाव दे सकती है जो उनका द्वारा 30 दिनों के अंदर की जानी होगी।

(x) प्रत्येक राजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों द्वारा आयोजित बैठकों की गई निधियां तथा निधियों के उपयोग और अप्रयुक्त राशि सहित निधियों की उपलब्धता की गहन समीक्षा करना।

5. दिशा द्वारा कवर किए गए कार्यक्रम

दिशा भारत सरकार की उन सभी गैर-साविधिक योजनाओं को कवर करेगी जिन्हें सामान्य रूप से चलाया जा रहा है। यद्यपि, संविधि के अधीन विशेष रूप से सौंपे गए योजनाओं के कार्यों को निगरानी हेतु किसी अन्य समिति को नहीं सौंपा जा सकता। ऐसे मामले में, मौजूदा साविधिक प्रावधान बने रहेंगे। योजनाओं की सुझाई गई सूची इस प्रकार है:

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) (<https://nrega.nic.in>)
2. दीन दयाल अंत्योदय योजना - एनआरएलएम (<https://aajeevika.gov.in>)
3. दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) (<http://ddugky.gov.in>)
4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (<http://omms.nic.in>)
5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) (<https://nsap.nic.in>)
6. प्रधान मंत्री आवास योजना (सभी के लिए मकान-शहरी) (<https://pmay-urban.gov.in>)
7. प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) (<https://rhreporting.nic.in>)
8. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) (<https://sbmurban.org>)
9. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) (<https://sbm.gov.in>)
10. जल जीवन मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) (<https://ejalshakti.gov.in/misreports>)
11. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (<https://iwmpmis.nic.in>)
12. डिजिटल भारत मू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनआईएलआरएमपी) (<http://dilrmp.gov.in>)
13. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयू-जीजेवाई) (<http://www.ddugjy.gov.in>)
14. श्याम प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन वृ राष्ट्रीय रबन मिशन (एनआरयूएम) (<https://rurban.gov.in>)
15. हेरिटेज शहर विकास और वृद्धि योजना (हृदय) (<https://mohua.gov.in>)
16. अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) (<http://amrut.gov.in>)
17. स्मार्ट सिटीज मिशन (<https://smartcities.gov.in>)
18. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) (<https://pmfby.gov.in>)
19. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) (<https://www.nhm.gov.in>)
20. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (<https://samagra.education.gov.in>)
21. समकित्त जल विकास योजना (आईसीडीएस) (<https://icds-wcd.nic.in>)
22. मिड-ड मील स्कीम (http://mdm.nic.in/mdm_website)
23. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) (<https://www.pmyu.gov.in>)

24. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (<https://www.msde.gov.in/en/schemes-initiatives/short-term-training/pmkvy-3-0>)
25. डिजिटल इंडिया – पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम – प्रत्येक ग्राम पंचायत में साझा सेवा केंद्र उपलब्ध कराना (<https://digitalindia.gov.in>)
26. टेलीकॉम, रेलवेज, हाइवेज, वाटरवेज, माइन्स आदि जैसे अवसंरचना संबंधी कार्यक्रम <http://jmvp.nic.in>, Parivahan
27. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) (<https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/PMKKKY%20Guidelines.pdf>)
28. एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) (<https://www.ipds.gov.in>)
29. संसदघनों का केंद्रीय असामान्य पूल (एनएलसीपीआर) ग्राउंड (<https://mdoner.gov.in/nicpr-background>)
30. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (<https://rkvy.nic.in>)
31. प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) (<https://pgsindia.nic.in/PKVY/index.aspx>)
32. नए स्वास्थ्य हाथ धोना (नएएस) (<https://www.solidhealth.dac.gov.in/>)
33. ई-ग्रामस एप्लिकेशन मार्गदर्शक ई-ग्रामस (<https://www.enam.gov.in/>)
34. पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) (<https://pmksy.gov.in>)
35. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (<https://pmksy-mowr.nic.in/aibp/mis>)
36. कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम (<https://cadwm.gov.in>)
37. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) (<https://www.pmagy.gov.in>)
38. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (<https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp>)
39. सुरम्य भारत अभियान (<https://www.india.gov.in/spotlight/accessible-india-campaign>)
40. बंटी बचाओ बंटी पढ़ाओ (<https://wcd.nic.in/bbbp-schemes>)
41. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन (<https://nfsa.gov.in>)
42. सातवें पंचवर्षीय अंग विकास निधि (<https://www.mplads.gov.in>)
43. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (<https://wcd.nic.in/schemes/pradhan-mantri-matru-vandana-yojana>)

इस तालिका में उल्लेख की गई अन्य कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित कार्यक्रमों के वेबसाइटों पर जाया जाए।

6. बैठकों की संख्या

माननीय संसद सदस्यों/विधायकों और अन्य सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना देने के बाद, दिशा की बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए। वर्ष के दौरान कम से कम 4 बैठकें आयोजित की जानी हैं। हालांकि, अगर अध्यक्ष की इच्छा हो तो बैठकों की संख्या चार से अधिक हो सकती है। यदि समिति के सभी सदस्य नामित न भी किए गए हों, तो भी समिति की बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। नामित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सह-अध्यक्ष को (यदि कोई हो), आपसी सहमति से बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए। यदि अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष उपस्थित न हो, तो उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

7. बैठकों की अनुसूची

प्रत्येक दिशा को तिमाही बैठक के लिए कार्यसूची बनाने हेतु अपनी खुद की प्रणाली तैयार करनी होगी। यह सुझाव दिया गया है कि बैठक की व्यवस्था अध्यक्ष की अनुमति से अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और फरवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान किसी भी दिन की जा सकती है। जिला स्तरीय दिशा समिति के सदस्य सचिव, जिला स्तरीय दिशा समिति के अध्यक्ष से कम से कम 45 दिन पहले बैठक की तारीख की पुष्टि की मांग करेंगे। यदि अध्यक्ष सदस्य सचिव से इस तरह के संचार की तारीख से दो सप्ताह के भीतर दिशा समिति की बैठक के लिए अपनी सुविधा देने में सक्षम नहीं है, तो बैठक की अध्यक्षता करने के लिए दिशा समिति के सह-अध्यक्ष से परामर्श किया जा सकता है। अतिरिक्त बैठकों के आयोजन के लिए बैठक की तिथि और महीने अध्यक्ष की सहमति / निर्देश से अधिसूचित होंगे। सदस्य सचिव बैठकों के आयोजन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होना चाहिए।

8. कार्यसूची और अनुवर्ती कार्रवाई

क. कार्यसूची

प्रत्येक राज्य स्तरीय दिशा समिति को छमाही बैठकों के लिए अपनी कार्यसूची प्रणाली स्वयं तैयार करनी होगी। पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अगली बैठक के लिए कार्यसूची का पहला मद होगी। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कार्यसूची में स्थायी मुद्दे शामिल होने चाहिए। पिछली बैठकों के दौरान इंगित की गई अनियमितताओं की स्थिति और की गई कार्रवाई की समीक्षा बैठकों के दौरान जांच-सूची का अभिन्न भाग होनी चाहिए।

ख. अनुवर्ती कार्रवाई

दिशा द्वारा समीक्षा किए गए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने वाली लाइन विभागों के प्रभारी अधिकारी को समिति के कार्यों में सहायता देनी चाहिए। बैठक की कार्यवाहियां संबंधित मंत्रालय/विभागों को कार्यवाही हेतु भेजी जाएंगी। बैठकों की कार्यवाहियां बैठक के 10 दिन के अंदर जारी कर देनी चाहिए। दिशा की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई बैठक के 30 दिन के अंदर शुरू हो जानी चाहिए। की गई कार्रवाई की निगरानी दिशा बैठकों में की जाएगी।

बैठक की सूचना सभी सदस्यों को पास बैठक शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले पहुंच जानी चाहिए, कार्यसूची सभी सदस्यों के पास बैठक शुरू होने से कम से कम 10 दिन पहले पहुंच जानी चाहिए और सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैठकों की सूचना, कार्यसूची नोट और कार्यवाहियां ग्रामीण विकास मंत्रालय <https://ruraldiksha.nic.in/DISHA/vign-home.aspx> और राज्य सरकार दोनों की वेबसाइट पर तत्काल प्रकाशित कर दी गई हैं।

केंद्र एवं केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत राज्यों को निधियां रिलीज करते समय दिशा बैठकों की नियमितता और इसके निर्णयों की अनुवर्ती कार्यवाही की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

9. बैठक के लिए व्यय

जिला प्रशासन लागू मानदंड के अनुसार जिला स्तर पर दिशा की बैठक के आयोजन पर खर्च कर सकता है। तथापि, प्रति बैठक कुल 2,00,000 रु. से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। संबंधित राज्य सरकार/राज्य की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (या जिला पंचायत) द्वारा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर बिल मंजूर किए जाएंगे। दिशा के लिए व्यय संबंधी मानदण्ड नीचे दिए गए हैं:-

- क. संसद सदस्यों और विधायकों के अलावा दिशा समिति के गैर-सरकारी सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए जिले के अंदर राज्य के समूह के अधिकारियों के लिए लागू दर के अनुसार स्थानीय यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति के इकदार होंगे।
- ख. संसद सदस्य और विधायकों के अलावा गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य के समूह के अधिकारियों के लिए लागू राज्य सरकार के दैनिक भत्ता दर के अनुसार दैनिक भत्ता दिए जाने की अनुमति दी जाए।

ग. जिला प्रशासन जलपान, स्थान की व्यवस्था, अपेक्षित न्यूनतम लेखन सामग्री इत्यादि पर खर्च कर सकता है।

घ. दिशा के काम-काज के लिए अपेक्षित अन्य संभार-तंत्र तथा आधारभूत सुविधाओं के लिए जिला मुख्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

ङ. कम्प्यूटर, कार्यालय परिसर, कर्मीचर तथा टेलीफोन इत्यादि जैसी मदों पर कोई भी खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।

च. खर्च का ब्यौरा जिला स्तर पर रखा जाएगा तथा वास्तविक व्यय के आधार पर डीआरडीए (या जिला पंचायत) द्वारा दावा किया जाना चाहिए।

छ. किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर डीआरडीए (या जिला पंचायत) द्वारा दावा की गई राशि की प्रतिपूर्ति ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा, किंतु यह 2,00,000 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. समिति की शक्तियां

इस समिति के पास समन्वय एवं निगरानी शक्तियां होंगी। इस समिति का कार्य अनुमोदित परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए इसमें आम वाली बाधाओं को दूर करना है। इस समिति के पास विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाई करने की शक्तियां होंगी। जिला फलफूल सदस्य लावेय होगा जिसका दायित्व शिक्षारिशी पर समय से अनुवर्ती कार्यवाई करने का होगा।

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास भवन, चतुर्थ तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

फोन : 0771-2260220

पिन कोड-492002

E-Mail ID: establishment.vak@gmail.com

क्रमांक ५२५९/वि-२/स्था./२०२५
प्रति

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक ०५/०६/२०२५

१. कलेक्टर,
जिला समस्त,
छत्तीसगढ़।

२. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत (समस्त),
छत्तीसगढ़।

विषय:- Modification in guidelines of DISHA Committees-Reg.

संदर्भ:- विभागीय पत्र क्रमांक GENCOR/2334/2025/22-1 दिनांक 09.05.2025

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र तथा संलग्न सहपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग (दिशा प्रभार) नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक Q-13016/2023-DISHA(E383152) दिनांक 15.04.2025 एवं उसके साथ संलग्न दिशा-निर्देश की छायाप्रति संलग्न है।

२/ भारत सरकार द्वारा दिशा समिति की मार्गदर्शिका में आंशिक संशोधन किया गया है, तथा तदनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गए हैं।

३/ कृपया भारत सरकार से जारी संशोधित दिशा निर्देशों के संबंध में क्षेत्र के सभी माननीय संसद सदस्यों, माननीय सदस्यों विधानसभा तथा दिशा समिति के सदस्यों को सूचना प्रसारित करते हुए विभागाध्यक्ष कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

(की.पी.तिकी) ०५/०६/२०२५

अपर विकास आयुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्रमांक ५२६०/वि-२/स्था./२०२५
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक ०५/०६/२०२५

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

अपर विकास आयुक्त

विकास आयुक्त कार्यालय

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर



तत्काल

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक /GENCOR/2334/2025/22-1
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 09/5/2025

✓ अपर विकास आयुक्त,
विकास आयुक्त कार्यालय,
विकास भवन, सेक्टर-19,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

विषय:- **Modification in Guidelines of DISHA Committees-Reg.**

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, (दिशा प्रभार) नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक Q-13016/2023-DISHA(E383152) दिनांक 15.04.2025 एवं उसके साथ संलग्न दिशा-निर्देश की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ अतः निर्देशानुसार कृपया भारत सरकार से जारी दिशा-निर्देश के संबंध में तत्काल उचित कार्यवाही कर स्पष्ट अभिमत के साथ की जाने वाली कार्यवाही का प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
VISHWANATH NAG

Date: 09-05-2025

17:41:34
अपर सचिव

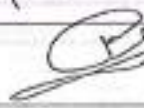
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

 By (Name)

28 MAY 2025

दिवा खमिनि

श्री मनोज अम

 28/5/25



आव प्रमाण: 8/3/25
पंचायत ग्रामीण विकास
क्रमांक: CR/105/25-20

63

Q-13016/02/2023-DISHA (E383152)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(DISHA Division)

[Handwritten signature]
21/4/25

Core 5-B, 2nd Floor,
India Habitat Centre,
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 15th April, 2025

CHIEF SECRETARY OFFICE
E-Office Dtd. No. 58775
Date: 25-04-2025

P.S. (42 Forming)
JS CC
SOL
29/4

To,

All Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries of States/ UTs

Subject: Modification in Guidelines of DISHA Committees-reg.

24 APR 2025
PS P&RD
Seey VAD

Sir/Madam,

This is to inform you that with the approval of the competent authority, certain provisions of DISHA Guidelines are amended with immediate effect. The details of the amendments are enclosed at Annexure. The changes are highlighted in bold.

- It is requested that the amendments may be circulated to all Members of Parliament, State Assemblies & Legislative Councils of your State/ UT and Member Secretaries of DISHA Committees for information and necessary action. In this regard, the earlier guidelines pertaining to DISHA Committees may be viewed in the DISHA dashboard at <https://disha.gov.in/guidelines> to facilitate understanding of the changes effectuated in their entirety.
- These amendments will supersede the respective provisions of existing DISHA Guidelines.

Encl: as above.

Yours faithfully,
K. Mishra
(Kalyani Mishra)
Economic Advisor
Tel: 011-24650535

आ. प्रमाण: 14/7/25
पंचायत ग्रामीण विकास
क्रमांक: 25/04/2025

8/3
जा.क.
28/04/25



Annexure

A. AMENDMENT IN DISTRICT LEVEL DISHA COMMITTEE GUIDELINESAmendment 1:Para 3: Composition - Chairperson:

Note: 2. A Member of Parliament can be Chairperson of maximum three districts [excluding NE States, Jammu and Kashmir, Bastar and Rajnandgaon (Chhattisgarh), Almora (Uttarakhand) and Mandi (Himachal Pradesh)].

Amendment 2Para 3. Composition - Members (iii): (Nomination of elected heads of ULBs in place of elected heads of GPs in urban districts)

iii. All Mayors / the Chairpersons of Municipalities (inclusive of at least one woman) and five elected heads of Gram Panchayat (inclusive of two women) to be nominated by the Chairperson and the other Members of Parliament in the Committee.

Provided that in case of mostly urban district, Chairperson and the other Members of Parliament in the Committee may nominate up to five elected heads of Urban Local Bodies (ULBs) (inclusive of two women) in place of five elected heads of Gram Panchayat (inclusive of two women) in proportion to area/ population.

Amendment 3Para 3: Composition - Members (ix): (recommendations for nomination of other members by MPs (LS/RS))

(Reference: amendment in guidelines dated 20.03.2023)

Note: The nomination of members in the category of 3(ix) may be done by the Ministry of Rural Development in consultation with Chairperson of the concerned district DISHA Committee.

Amendment 4Para 3: Composition - Co-Chairperson: (Nomination of nominated MP from Rajya Sabha):

(b) Rajya Sabha MP: One MP (Rajya Sabha) representing the State and exercising option to be associated with the district level Committee of that District/one nominated MP from Rajya Sabha, exercising option to be associated with the one district level Committee of any State of Country, to be designated as Co-Chairpersons (on first come basis) by the Ministry of Rural Development.

Amendment 5Para 9. Expenditure for the meeting:

- c. The District Administration may incur expenditure on: light refreshments/lunch served during course of the meeting, arrangement of venue, furniture on rent, other logistics, minimum stationery, etc.
- d. Regarding infrastructural facilities required for the functioning of the DISHA, the facilities available with the district headquarter may be made use of.
- e. No expenditure should be allowed on items like computer, telephone, office accommodation, etc.
- f. The records of expenditure should be maintained at the district level and claims should be made by DRDA (or Zila Panchayat) based on actual preferably within a year of date of meeting held. (to be submitted in format I & II given in Annexure).

B. AMENDMENT IN STATE LEVEL DISHA COMMITTEE GUIDELINESAmendment 6Para 8: Expenditure for the Meeting

- c. The expenditure incurred by the State Government on light refreshments/ lunch served during the course of the meeting, arrangement of venue, furniture on rent, minimum stationery required, shall be reimbursable.
- d. For other infrastructural facilities as required for the meeting of the DISHA, the facilities available with the State may be made use of;
- e. Expenditure on items like computer, telephone, office accommodation etc., utilized during the course of meeting shall be borne by the State;
- f. The records of expenditure should be maintained at the State level and claims should be made by State Administration based on actuals preferably within a year of date of meeting held. (to be submitted in format I & II given in Annexure).

C. AMENDMENT IN STATE AND DISTRICT LEVEL DISHA COMMITTEE GUIDELINESAmendment 6Para 5: Programmes to be covered by DISHA.

DISHA will cover all non-statutory schemes of Government of India that are administered in general. However, the functions of schemes that have been specifically assigned under a statute cannot be assigned to any other committee for monitoring. In such cases, the extant statutory provisions will prevail. A suggestive list of Schemes is:

(1.) Department of Rural Development

1. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)
2. Deen Dayal Antyodaya Yojana -National Rural Livelihoods Mission (NRLM)
3. Deen Dayal Upadhyaya - Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)

4. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
5. National Social Assistance Programme (NSAP)
6. Pradhan Mantri Awas Yojna Gramin (PMAY-G)
7. Shyama Prasad Mukherji Rural Mission (SPMRM)
8. Rural Self Employment Training Institutes (RSETI)
9. Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)
- (2.) Department of Agriculture & Farmers Welfare
10. Rashtriya Krishi Vikas Yojana(RKVY)
11. Paramparagat Krishi Vikas Yojana(PKVY)
12. Soil Health Card(SHC)
13. e-National Agriculture Markets(E-NAM)
14. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana(PMFBY)
15. Agriculture Infrastructure Funds Schemes (AIF)
16. Agricultural Technology Management Agency Scheme (ATMA)
17. Agriclinic and Agribusiness Centres Scheme (AC&ABC)
18. Kisan Call Center (KCC)
19. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna -PDMC (PMKSY-PDMC)
20. PMKISAN
- (3.) Ministry of Panchayati Raj
21. Survey of Villages Abadi & Mapping with Improved Technology in Village Areas (SVAMITVA)
22. Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)
23. Gram Panchayat Development Plan (GPDP)
- (4.) Ministry of Housing and Urban Affairs
24. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0(AMRUT 2.0)
25. Pradhan Mantri Awas Yojana (Housing for All -Urban)
26. Swachh Bharat Mission - Urban (SBM-U)
27. Smart Cities Mission
28. PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)
- (5.) Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
29. Command Area Development and Water Management Programme (CADWM)
30. Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)
31. Repair, Renovation & Restoration of Water bodies (RRR of WBs)
32. Surface Minor Irrigation (SMI)
33. Namami Gange
34. Atal Bhujal Yojna
- (6.) Department of Animal Husbandry and Dairying
35. National Animal Disease Control Programme (NADCP)
36. National Artificial Insemination Programme (NAIP)
37. National Livestock Mission (NLM)
38. Rashtriya Gokul Mission (RGM)
39. National Programme for dairy development (NPDD)
- (7.) Ministry of Women and Child Development
40. Integrated Child Development Scheme (ICDS)
41. Child Protection & Safety Scheme
42. Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)
43. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)

44. Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0
45. Safety and protection of women - One Stop Centre (OSC)
- (8.) Ministry of Health & Family Welfare**
46. National Health Mission(NHM)
47. National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)
48. Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)
49. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY)
- (9.) Department of Drinking Water and Sanitation**
50. Swachh Bharat Mission – Gramin 1.0 (SBM-G 1.0)
51. Swachh Bharat Mission – Gramin 2.0 (SBM-G 2.0)
52. Jal Jeevan Mission (JJM)
- (10.) Department of Land & Resources**
53. Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP)
54. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna (PMKSY) Integrated Watershed Management Programme 2.0(IWMP 2.0)
- (11.) Ministry of Education**
55. Mid-Day Meal Scheme (MDM) (PM Poshan)
56. Samagra Shiksha
- (12.) Ministry of Petroleum & Natural Gases**
57. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 (PMUY 2.0)
- (13.) Ministry of Skill Development and Entrepreneurship**
58. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)
- (14.) Ministry of Road Transport and Highways.**
59. Infrastructure related programmes like highways: Parivahan
60. SARATHI
61. VAHAN
- (15.) Ministry of Mines**
62. Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY)
- (16.) Ministry of Development of North East Region.**
63. PM-DevINE
64. North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) (Roads)
65. North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) (Other than Roads Infrastructure (OTRI))
66. Schemes of North Eastern Council
67. Special Development Package
- (17.) Department of Social Justice and Empowerment**
68. Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)
69. Pradhan Mantri - Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana. (PM-AJAY)
- (18.) Department of Empowerment of Persons with Disabilities**
70. Suganya Bharat Abhiyan-Accessibility India campaign (AIC)
71. Unique Disability ID (UDID)
- (19.) Ministry of Small & Medium Enterprise (MSME)**
72. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)
- (20.) Ministry of Statistics and Programme Implementation**
73. Members of Parliament Local Area Development Scheme(MPLADS)

- (21.) Ministry of Shipping
74. Infrastructure related programmes like Waterways: Jal Marg Vikas Project (JMVP)
- (22.) Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)
75. Digital India - Public Internet Access Programme - providing Common Service Centre in each Gram Panchayat (CSC)
76. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA)
- (23.) Department of Telecommunication
77. Utilization of BharatNet
- (24.) Department of Food and Public Distribution
78. Implementation of National Food Security Act (NFSA)
- (25.) Ministry of Minority Affairs
79. Pre-Matric scholarship
80. Post-Matric scholarship
81. MCM scholarship
- (26.) Ministry of Youth Affairs and Sports
82. Khelo India
- (27.) Ministry of Textiles
83. SAMARTH Scheme
- (28.) Department of Fisheries
84. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
- (29.) Ministry of Labour & Employment
85. eShram portal
86. National Career Service (NCS)
- (30.) Department of Pharmaceuticals
87. Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP)
- (31.) Ministry of Culture
88. National Mission of Libraries (NML)
- (32.) Ministry of Finance
89. Atal Pension Yojna (APY)
90. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)
91. Sukanya Samriddhi Account (SSA)
- (33.) Ministry of Tourism
92. Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive (PRASHAD)
- (34.) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
93. Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)
94. One District One Product (ODOP)
- (35.) Department of Consumer Affairs
95. Price Monitoring
96. BIS

NOTE: Committees are also provided the data related to Socio Economic and Caste Census (SECC), Fourteenth Finance Commission and Fifteenth Finance Commission for monitoring of schemes.

Decision to include or exclude any central sector programmes/schemes to be reviewed by the Committee rests with Ministry of Rural Development.

Amendment 8Format IExpenditure Certificate with item-wise breakup & Non Duplicity certificateItem-wise breakup

Sl. No.	Details of items	Amount (in Rs.)
1.	Expenditure on refreshment etc.	
2.	Stationery expenses	
3.	Photocopy and other expenses	
4.	Any others items	
5.		
6.		
7.		
	Total	

It is certified that the above expenditure towards convening the State/District Level District Development Coordination & Monitoring Committee (DISHA) meeting of state.....district..... held on..... has not been claimed previously or from any other source.

Date:

Place:

Chief Development Officer /Project Director (DRDA)
Signature with stamp

Format IIBANK DETAILS (To which reimbursed amount is to be transferred)

S.N	Descriptions	Bank Details
1	Name of Account Holder:	
2	Name of bank:	
3	Branch Name & Address:	
4	Account No.:	
5	IFSC Code:	

अनुलग्नकA. जिला स्तरीय दिशा समिति के मार्गदर्शिका में संशोधनसंशोधन 1:पैरा 3: संरचना - अध्यक्ष:

नोट 2: सदस्य अधिकतम तीन जिलों [पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, दक्तर, राजनांदगांव (उत्तीसगढ़), अत्नोडा (उत्तराखंड) और मंडी (हिमाचल प्रदेश)] के अध्यक्ष हो सकते हैं।

संशोधन 2:पैरा 3: संरचना - सदस्य (iii): (शहरी जिलों में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों के स्थान पर शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) के निर्वाचित प्रमुखों का नामांकन)

iii. सभी मेयर / नगरपालिकाओं के अध्यक्ष (कम से कम एक महिला सहित) और ग्राम पंचायतों के पांच निर्वाचित प्रमुखों (दो महिलाओं सहित) को समिति में अध्यक्ष और अन्य संसद सदस्यों द्वारा नामित किया जाएगा।
दशरत शहरी जिले के मामले में, समिति के अध्यक्ष और अन्य संसद सदस्य ग्राम पंचायत के पांच निर्वाचित प्रमुखों (दो महिलाओं सहित) के स्थान पर शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के पांच समकक्ष निर्वाचित सदस्यों (दो महिलाओं सहित) को नामित कर सकते हैं।

संशोधन 3:पैरा 3: संरचना - सदस्य (ix): (सांसदों (लोकसभा/राज्यसभा) द्वारा अन्य सदस्यों के नामांकन के लिए सिफारिशें)

(संदर्भ दिनांक 20.03.2023 के मार्गदर्शिका में संशोधन)

नोट: 3(ix) श्रेणी में सदस्यों का नामांकन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से किया जा सकता है।

संशोधन 4:पैरा 3: संरचना - सह-अध्यक्ष: (राज्यसभा से नाम निर्देशित सांसद का नामांकन):

(ख) राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले और उस जिले की जिला स्तरीय समिति से जुड़ने के विकल्प का प्रयोग करने वाले किसी संसद सदस्य (राज्य सभा) / नाम निर्देशित सदस्य और देश के किसी भी राज्य के एक जिले की जिला स्तरीय समिति से जुड़ने के विकल्प का प्रयोग करने वाले किसी संसद सदस्य (राज्य सभा) (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सह-अध्यक्ष पदनामित किया जाएगा।

संशोधन 5:पैरा 9. बैठक के लिए व्यय:

ग. जिला प्रशासन जलपान/दोपहर के भोजन स्थान की व्यवस्था अपेक्षित न्यूनतम लेखन सामग्री, किराये पर फर्नीचर, अन्य संभार-तंत्र इत्यादि पर दिशा बैठकों के लिए खर्च कर सकता है।

घ. दिशा के काम-काज के लिए अपेक्षित तथा आधारभूत सुविधाओं के लिए जिला मुख्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

ङ. कम्प्यूटर, फर्नीचर तथा टेलीफोन इत्यादि की खरीद या कार्यालय परिसर के किराये जैसी मदों पर कोई भी खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।

च. खर्च का ब्योरा जिला स्तर पर रखा जाएगा तथा वास्तविक व्यय के आधार पर डीआरडीए (या जिला पंचायत) द्वारा दावा अधिमानतः बैठक की तारीख के एक वर्ष के भीतर (संतग्रक में दिए गए प्रारूप I & II के अनुसार) किया जाना चाहिए।

B. राज्य स्तरीय दिशा समिति के मार्गदर्शिका में संशोधन

संशोधन 6:

पैरा 8: बैठक के लिए व्यय

ग. बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा जलपान/दोपहर के भोजन, स्थल की व्यवस्था, आवश्यक न्यूनतम स्टेशनरी, किराये पर फर्नीचर पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

घ. दिशा की बैठक के लिए यथा अपेक्षित अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए राज्य में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

ङ. बैठक के दौरान कम्प्यूटर, कार्यालय परिसर तथा टेलीफोन, इत्यादि जैसी मदों पर व्यय राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

च. खर्च का ब्योरा राज्य स्तर पर रखा जाएगा तथा वास्तविक व्यय के आधार पर राज्य प्रशासन द्वारा दावा अधिमानतः बैठक की तारीख से एक वर्ष के भीतर (संतग्रक में दिए गए प्रारूप I & II के अनुसार) किया जाना चाहिए।

C. राज्य एवं जिला स्तरीय दिशा समिति के मार्गदर्शिका में संशोधन

संशोधन 7

पैरा 5: दिशा द्वारा कवर किए जाने वाले कार्यक्रम।

दिशा भारत सरकार की सभी गैर-संवैधानिक योजनाओं को कवर करेगी जो सामान्य रूप से प्रशासित की जाती हैं। हालांकि, किसी कानून के तहत विशेष रूप से सौंपी गई योजनाओं के कार्यों की निगरानी के लिए किसी अन्य समिति को नहीं सौंपा जा सकता है। ऐसे मामलों में, मौजूदा वैधानिक प्रावधान ही प्रभावी होंगे। योजनाओं की एक सुझावात्मक सूची इस प्रकार है:

(1.) ग्रामीण विकास विभाग

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)
2. दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
3. दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
6. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई जी)
7. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुन मिशन (एसपीआरएमएम)
8. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)
9. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

(2.) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
11. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
12. मुदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)
13. ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)
14. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
15. कृषि अवसंरचना निधि योजना (एआईएफ)
16. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना (एटीएमए)
17. कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना (एसी और एबीसी)
18. किसान कॉल सेंटर (केसीसी)
19. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पीडीएमसी (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी)
20. पीएम-किसान

(3.) पंचायती राज मंत्रालय

21. ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (स्वामित्व)
22. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)
23. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)

(4.) आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

24. अटल कामाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0)
25. प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए आवास-शहरी)
26. स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (एसबीएम-यू)
27. स्मार्ट सिटी मिशन
28. पीएम स्टूट वेडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)
- (5.) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
29. कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम)
30. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)
31. जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार (पश्चिम बंगाल जल निकायों का आरआरआर)
32. सतही लघु सिंचाई (एसएमआई)
33. नमामि गंगे
34. अटल भूजल योजना

(6.) पशुपालन और डेयरी विभाग

35. राष्ट्रीय पशु रोग निपटण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)
36. राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी)
37. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)
38. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)
39. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

- (7.) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
 40. एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)
 41. बाल संरक्षण एवं सुरक्षा योजना
 42. बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)
 43. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
 44. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0
 45. महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण - वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)
 - (8.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
 46. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
 47. राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)
 48. आपुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)
 49. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)
 - (9.) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
 50. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण 1.0 (एसबीएम-जी 1.0)
 51. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण 2.0 (एसबीएम-जी 2.0)
 52. जल जीवन मिशन (जेजेएम)
 - (10.) भूमि एवं संसाधन विभाग
 53. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)
 54. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम 2.0 (आईडब्ल्यूएमपी 2.0)
 - (11.) शिक्षा मंत्रालय
 55. मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) (पीएम पोषण)
 56. समग्र शिक्षा
 - (12.) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
 57. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (पीएमयूवाई 2.0)
 - (13.) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
 58. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
 - (14.) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
 59. राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम; परिवहन
 60. सारथी
 61. वाहन
 - (15.) खान मंत्रालय
 62. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)
 - (16.) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
 63. पीएम-डेविन
 64. पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) (सड़कें)
 65. पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) (सड़क अवसंरचना के अलावा (ओटीआरआई))
 66. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं
 67. विशेष विकास पैकेज

- (17.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
68. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)
69. प्रधानमंत्री-अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। (पीएम-अजय)
- (18.) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
70. सुगम्य भारत अभियान - सुगम्यता भारत अभियान (एआईसी)
71. विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी)
- (19.) लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)
72. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
- (20.) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
73. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)
- (21.) जहाजरानी मंत्रालय
74. जलमार्ग जैसे दुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम; जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी)
- (22.) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
75. डिजिटल इंडिया - सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम - प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) उपलब्ध कराना
76. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीशा)
- (23.) दूरसंचार विभाग
77. भारतनेट का उपयोग
- (24.) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
78. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का कार्यान्वयन
- (25.) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
79. प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति
80. पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति
81. एमसीएम छात्रवृत्ति
- (26.) युवा मामले और खेल मंत्रालय
82. खेलो इंडिया
- (27.) कपड़ा मंत्रालय
83. सामर्थ योजना
- (28.) मत्स्य विभाग
84. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
- (29.) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
85. ई-श्रम पोर्टल
86. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस)
- (30.) फार्मास्यूटिकल्स विभाग
87. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)
- (31.) संस्कृति मंत्रालय
88. राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल)

(32.) वित्त मंत्रालय

89. अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

90. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

91. सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए)

(33.) पर्यटन मंत्रालय

92. तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रयाद)

(34.) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)

93. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS)

94. एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)

(35.) उपभोक्ता मामले विभाग

95. मूल्य ई निगरानी

96. बीआईएस

योजनाओं की निगरानी के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), चौदहवें वित्त आयोग और पंद्रहवें वित्त आयोग से संबंधित आंकड़े भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

समिति द्वारा समीक्षा किए जाने वाले किसी भी केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम/योजना को शामिल करने या बाहर करने का निर्णय ग्रामीण विकास मंत्रालय पर निर्भर है।

संशोधन 8

प्रारूप।

मदवार ब्यौरा सहित व्यय प्रमाणपत्र और नॉन डुप्लीसिटी प्रमाणपत्र

आइटम-वार ब्यौरा

क्रम सं.	वस्तुओं का विवरण	राशि (रु. में)
1.	जलपान आदि पर व्यय	
2.	स्टेशनरी व्यय	
3.	फोटोकॉपी और अन्य खर्च	
4.	कोई अन्य आइटम	
5.		
6.		
7.		
	कुल	

यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक को आयोजित राज्य/..... जिला स्तरीय जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक के आयोजन हेतु उपरोक्त व्यय का दावा पहले या किसी अन्य स्रोत से नहीं किया गया है।

तारीख:

स्थान:

मुख्य विकास अधिकारी/ परियोजना निदेशक (डीआरडीए)

स्टाम्प सहित हस्ताक्षर

प्रारूप II

बैंक विवरण (जिस बैंक खाते में प्रतिपूर्ति राशि स्थानांतरित की जानी है)

क्रम सं.	विवरण	बैंक विवरण
1	खाता धारक का नाम:	
2	बैंक का नाम:	
3	शाखा का नाम और पता:	
4	खाता नंबर:	
5	आईएफएससी कोड:	

Modifications in Guidelines of DISHA Committees-regarding.

AK

Ajay Kr <ajay.kr79@nic.in>

Wed, 23 Apr 2025 4:50:53 PM +0530

To "Dr. Ravi Kota" <cs-assam@nic.in>, "Chief Secretary, Bihar" <cs-bihar@nic.in>, "Dr. V Candavelou IAS" <cs-goa@nic.in>, "csguj" <csguj@gujarat.gov.in>, "Sh. Anurag Rastogi, IAS" <cs@hry.nic.in>, "Prabodh Saxena" <cs-hp@nic.in>, "cs-jandk" <cs-jandk@nic.in>, "Alka Tiwari" <cs-jharkhand@nic.in>, "Smt. SARADA MURALEEDHARAN IAS" <chiefsecy@kerala.gov.in>, "cs" <cs@maharashtra.gov.in>, "cs-manipur" <cs-manipur@nic.in>, "cso-meg" <cso-meg@nic.in>, "cs-mizoram" <cs-mizoram@nic.in>, "Jan e Alam, Chief Secretary Nagaland" <csnagl@nic.in>, "Shri Manoj Ahuja" <csori@nic.in>, "Chief Secretary Punjab" <cs@punjab.gov.in>, "Chief Secretary, Punjab" <cs@punjabmail.gov.in>, "csraj" <csraj@rajasthan.gov.in>, "Shri Ravindra Telang, IAS" <cs-skm@nic.in>, "cs" <cs@tn.gov.in>, "CS Telangana" <cs@telangana.gov.in>, "CHIEF SECRETARY OFFICE GOVT OF UP" <csup@nic.in>, "chief secretary" <cs-uttarakhand@nic.in>, "chiefsecyuk" <chiefsecyuk@gmail.com>, "K. Vijayanand, IAS" <cs@ap.gov.in>, "cs" <cs@karnataka.gov.in>, "Manish Kumar Gupta" <cs-arunachal@nic.in>, "Dr. Chandra Bhushan Kumar IAS" <cs-andaman@nic.in>, "Office of the Administrator DNH DD" <administrator-dnh@nic.in>, "Praful Patel" <administrator-dd@gov.in>, "Dr Sharat Chauhan, I.A.S , Chief Secretary to Government, Government of Puducherry" <cs.pon@nic.in>, "Dr Sharat Chauhan, I.A.S , Chief Secretary to Government, Government of Puducherry" <cs@py.gov.in>, "Administrator DNH DD" <administrator-dd-dnh@nic.in>, "MSRao" <raoms@gov.in>, "cs_miz" <cs_miz@rediffmail.com>, "Chief Secretary Office Chhattisgarh" <csoffice.cg@gov.in>, "Dr. Manoj Pant" <cs-westbengal@nic.in>, "Anurag Jain" <cs@mp.nic.in>, "cs-tripura" <cs-tripura@nic.in>, "cstripura" <cstripura@gmail.com>, "Shri Dharmendra" <csdelhi@nic.in>, "Rajeev Verma" <adviser-chd@nic.in>, "Advisor to LG" <advisor-lg-ladakh@gov.in>, "Praful Patel" <lk-admin@nic.in>

Cc "Ms Kalyani Mishra" <kalyani.mishra@nic.in>, "Umesh Kumar Ram" <umeshkr.ram@gov.in>, "Piyush Ranjan" <piyush.ranjan92@nic.in>, "Vijay Kumar" <vijay.k65@gov.in>, "RAVI BHUSHAN" <ravi.bhushan@nic.in>

Respected Madam/Sir,

I am directed to forward an Office Memorandum dated 15/04/2025 on the above mentioned subject.

With regards,

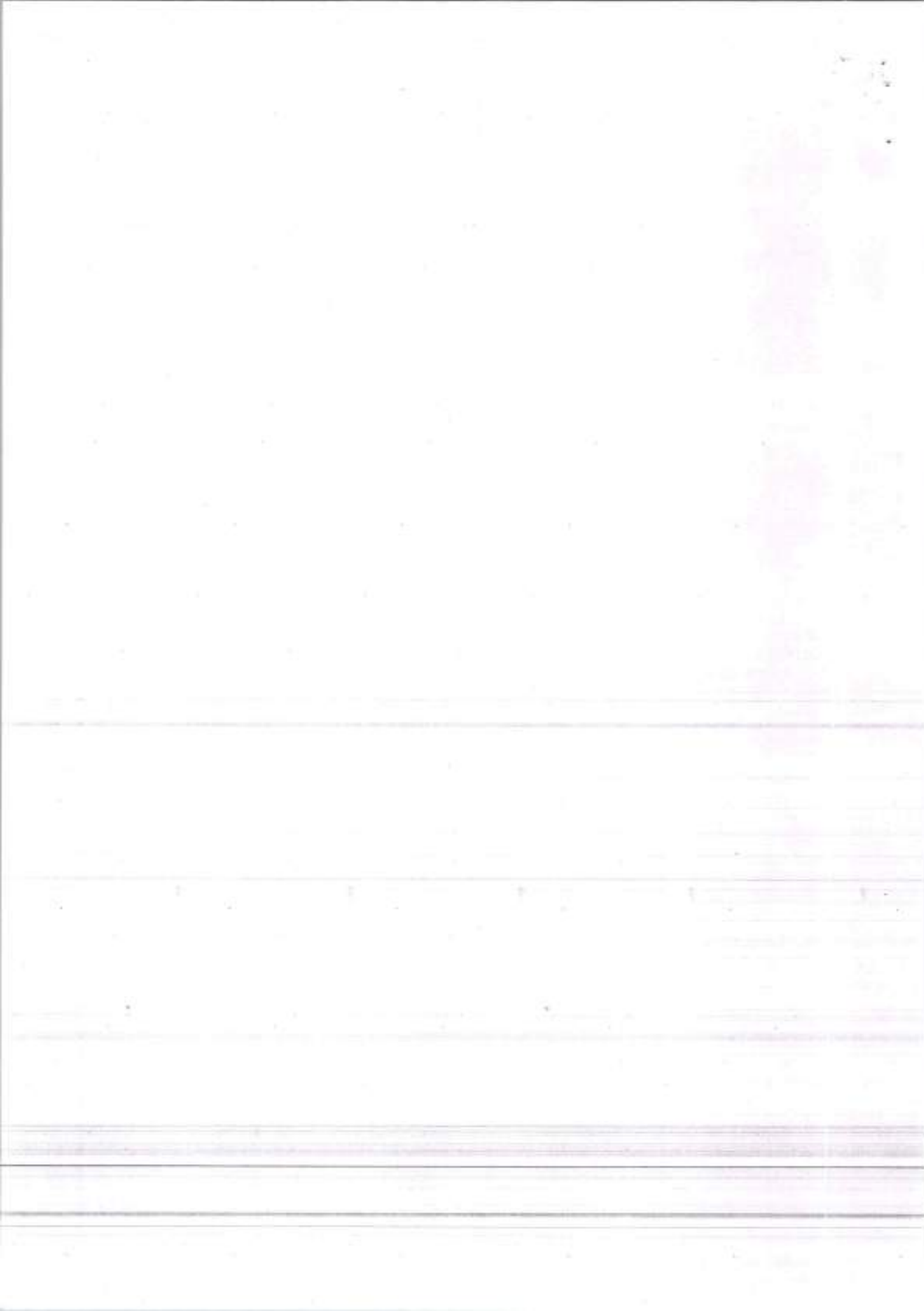
Ajay Kumar,
Accountant,
DISHA Division,
Department of Rural Development,
Ministry of Rural Development,
India Habitat Centre,
New Delhi



© 1 Attachment(s) • Download as Zip



Guidelines modification 15 April 2... .pdf
2.2 MB •



विकास आयुक्त कार्यालय
विकास भवन, चतुर्थ तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

फोन : 0771-2260220

पिन कोड-492002

E-Mail ID establishment.vak@gmail.com

क्रमांक 5844/वि-12/DISHA/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04/09/2025
प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला समस्त,
छत्तीसगढ़।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत (समस्त),
छत्तीसगढ़।

विषय:- Modification in guidelines of DISHA Committees-Reg.

संदर्भ:- विभागीय पत्र क्रमांक जीइएनएस/9444/2025/22-1 नवा रायपुर दिनांक
18/08/2025

—00—

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार,
ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक क्यू -13016/02/2023-दिशा
(ई-383152) एवं उसके साथ संलग्न दिशा- निर्देश की छायाप्रति संलग्न है।

2/ भारत सरकार द्वारा राज्य/ जिला स्तरीय दिशा समितियों के संबंध में जारी
मार्गदर्शिका की कड़िका 5-दिशा द्वारा कवर किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूची में संशोधन
किया गया है।

तत्संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही
हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न-यथोपरि।

(डी पी तिकी) 04/09/2025

अपर विकास आयुक्त

विकास आयुक्त कार्यालय

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

पृ. क्रमांक 5844/वि-12/DISHA/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04/09/2025
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा
रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।

अपर विकास आयुक्त

विकास आयुक्त कार्यालय

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

तत्काल

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
ः०: मंत्रालय:०:
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल

क्रमांक GENS/9444 /2025/22-1
प्रति,

नवा रायपुर दिनांक /08/2025

अपर विकास आयुक्त,
विकास आयुक्त कार्यालय,
विकास भवन, सेक्टर-19,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

विषय:- Modification in Guidelines of DISHA Committee-reg.
....00...

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, दिशा प्रभाग, नई दिल्ली, से प्राप्त पत्र क्रमांक Q-13016/02/2023-DISHA(e-383152) दिनांक 01.08.2025 एवं उसके साथ संलग्न दिशा-निर्देश की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ निर्देशानुसार कृपया भारत सरकार से जारी दिशा-निर्देश के संबंध में तत्काल उचित कार्यवाही कर, स्पष्ट अभिमत के साथ की जाने वाली कार्यवाही का प्रस्ताव इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
SHOBHRAN SINGH CHOURAGADE
Date: 18-08-2025 12:22:05
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Dy Commr)

24/08/25

20 AUG 2025

श्री विजय चौधरी
20/8/25

CHIEF SECRETARY OFFICE

E-Office Dak No. 219978

Date 04.08.25

- 4 AUG 2025

PS P&RD

Q-13016/02/2023-DISHA (E-383152)

Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(DISHA Division)

Core 5-B, 2nd Floor,
India Habitat Centre,
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 01st August, 2025

To,

J S (C)

All Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries of States/ UTs

Subject: Modification in Guidelines of DISHA Committees-reg.

Sir/Madam,

This is to inform you that with the approval of the competent authority, certain provisions of DISHA Guidelines are amended with immediate effect. The details of the amendments are enclosed at Annexure. The changes are highlighted in bold.

2. It is requested that the amendments may be circulated to all Members of Parliament, State Assemblies & Legislative Councils of your State/ UT and Member Secretaries of DISHA Committees for information and necessary action. In this regard, the earlier guidelines pertaining to DISHA Committees may be viewed in the DISHA dashboard at <https://disha.gov.in/guidelines> to facilitate understanding of the changes effectuated in their entirety.

3. These amendments will supersede the respective provisions of existing DISHA Guidelines.

Encl: as above.

Yours faithfully,

K. Mishra

(Kalyani Mishra)
Economic Advisor
Tel: 011-24650535

आ./जा. क्रमांक
प्रमुख सचिव, पंचायति/सूचना प्रौद्योगिकी
दिनांक 04/08/25

Annexure:

AMENDMENT IN STATE AND DISTRICT LEVEL DISHA COMMITTEE GUIDELINES

Para 5: Programmes to be covered by DISHA.

DISHA will cover all non-statutory schemes of Government of India that are administered in general. However, the functions of schemes that have been specifically assigned under a statute cannot be assigned to any other committee for monitoring. In such cases, the extant statutory provisions will prevail. A suggestive list of Schemes is:

(1.) Department of Rural Development

1. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)
2. Deen Dayal Antyodaya Yojana -National Rural Livelihoods Mission (NRLM)
3. Deen Dayal Upadhyaya - Gramen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)
4. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
5. National Social Assistance Programme (NSAP)
6. Pradhan Mantri Awas Yojna Gramin(PMAY-G)
7. Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM)
8. Rural Self Employment Training Institutes (RSETI)
9. Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)

(2.) Department of Agriculture & Farmers Welfare

10. Rashtriya Krishi Vikas Yojana(RKVV)
11. Paramparagat Krishi Vikas Yojana(PKVY)
12. Soil Health Card(SHC)
13. e-National Agriculture Markets(E-NAM)
14. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana(PMFBY)
15. Agriculture Infrastructure Funds Schemes (AIF)
16. Agricultural Technology Management Agency Scheme (ATMA)
17. Agriclinic and Agribusiness Centres Scheme (AC&ABC)
18. Kisan Call Center (KCC)
19. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna -PDMC (PMKSY-PDMC)
20. PMKISAN

(3.) Ministry of Panchayati Raj

21. Survey of Villages Abadi & Mapping with Improved Technology in Village Areas (SVAMITVA)
22. Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)
23. Gram Panchayat Development Plan (GPDP)

(4.) Ministry of Housing and Urban Affairs

24. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0(AMRUT 2.0)
25. Pradhan Mantri Awas Yojana (Housing for All -Urban)
26. Swachh Bharat Mission - Urban (SBM-U)

27. Smart Cities Mission
28. PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)
- (5.) Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation**
29. Command Area Development and Water Management Programme (CADWM)
30. Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)
31. Repair, Renovation & Restoration of Water bodies (RRR of WBs)
32. Surface Minor Irrigation (SMD)
33. Namami Gange
34. Atal Bhujal Yojna
- 35. Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain**
- 36. Jal Sanchay Jan Bhagidari**
- (6.) Department of Animal Husbandry and Dairying**
37. National Animal Disease Control Programme (NADCP)
38. National Artificial Insemination Programme (NAIP)
39. National Livestock Mission (NLM)
40. Rashtriya Gokul Mission (RGM)
41. National Programme for dairy development (NPDD)
- (7.) Ministry of Women and Child Development**
42. Integrated Child Development Scheme (ICDS)
43. Child Protection & Safety Scheme
44. Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)
45. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)
46. Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0
47. Safety and protection of women - One Stop Centre (OSC)
- (8.) Ministry of Health & Family Welfare**
48. National Health Mission (NHM)
49. National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)
50. Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)
51. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY)
- 52. National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission**
- (9.) Department of Drinking Water and Sanitation**
53. Swachh Bharat Mission - Gramin 1.0 (SBM-G 1.0)
54. Swachh Bharat Mission - Gramin 2.0 (SBM-G 2.0)
55. Jal Jeevan Mission (JJM)
- (10.) Department of Land & Resources**
56. Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP)
57. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna (PMKSY) Integrated Watershed Management Programme 2.0 (IWMP 2.0)
- (11.) Ministry of Education**
58. Mid-Day Meal Scheme (MDM) (PM Poshan)
59. Samagra Shiksha

- (12.) Ministry of Petroleum & Natural Gases
60. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 (PMUY 2.0)
- (13.) Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
61. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)
- (14.) Ministry of Road Transport and Highways.
62. Infrastructure related programmes like highways: Parivahan
63. SARATHI
64. VAHAN
- (15.) Ministry of Mines
65. Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY)
- (16.) Ministry of Development of North East Region.
66. PM-DevINE
67. North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) (Roads)
68. North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) (Other than Roads Infrastructure (OTRI))
69. Schemes of North Eastern Council
70. Special Development Package
- (17.) Department of Social Justice and Empowerment
71. Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)
72. Pradhan Mantri - Anusuchit Janti Abhyuday Yojana. (PM-AJAY)
- (18.) Department of Empowerment of Persons with Disabilities
73. Sugamya Bharat Abhiyan-Accessibility India campaign (AIC)
74. Unique Disability ID (UDID)
- (19.) Ministry of Small & Medium Enterprise (MSME)
75. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)
- (20.) Ministry of Statistics and Programme Implementation
76. Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)
- (21.) Ministry of Shipping
77. Infrastructure related programmes like Waterways: Jal Marg Vikas Project (JMVP)
- (22.) Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)
78. Digital India - Public Internet Access Programme - providing Common Service Centre in each Gram Panchayat (CSC)
79. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA)
- (23.) Department of Telecommunication
80. Utilization of BharatNet
- (24.) Department of Food and Public Distribution
81. Implementation of National Food Security Act (NFSA)
- (25.) Ministry of Minority Affairs
82. Pre-Matric scholarship

83. Post-Matric scholarship
84. MCM scholarship
- (26.) Ministry of Youth Affairs and Sports**
85. Khelo India
- (27.) Ministry of Textiles**
86. SAMARTH Scheme
- (28.) Department of Fisheries**
87. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
- (29.) Ministry of Labour & Employment**
88. eShram portal
89. National Career Service (NCS)
- (30.) Department of Pharmaceuticals**
90. Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP)
- (31.) Ministry of Culture**
91. National Mission of Libraries (NML)
- (32.) Ministry of Finance**
92. Atal Pension Yojna (APY)
93. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)
94. Sukanya Samridhhi Account (SSA)
- (33.) Ministry of Tourism**
95. Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive (PRASHAD)
- (34.) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)**
96. Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)
97. One District One Product (ODOP)
- (35.) Department of Consumer Affairs**
98. Price Monitoring
99. BIS
- (36.) Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)**
100. National Clean Air Programme (NCAP)
- (37) Ministry of New and Renewable Energy**
101. PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan)

NOTE: Committees are also provided the data related to Socio Economic and Caste Census (SECC), Fourteenth Finance Commission and Fifteenth Finance Commission for monitoring of schemes.

Decision to include or exclude any central sector programmes/schemes to be reviewed by the Committee rests with Ministry of Rural Development.

राज्य एवं जिला स्तरीय दिशा समिति के मार्गदर्शिका में संशोधन

पैरा 5: दिशा द्वारा कवर किए जाने वाले कार्यक्रम।

दिशा भारत सरकार की सभी गैर-संवैधानिक योजनाओं को कवर करेगी जो सामान्य रूप से प्रशस्तित की जाती हैं। हालाँकि, किसी कानून के तहत विशेष रूप से सौंपी गई योजनाओं के कार्यों को निगरानी के लिए किसी अन्य समिति को नहीं सौंपा जा सकता है। ऐसे मामलों में, मौजूदा वैधानिक प्रावधान ही प्रभावी होंगे। योजनाओं की एक सुझावात्मक सूची इस प्रकार है:

(1.) ग्रामीण विकास विभाग

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)
2. दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
3. दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
6. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)
7. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरन मिशन (एसपीआरएमएम)
8. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)
9. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

(2.) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
11. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
12. मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)
13. ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)
14. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
15. कृषि अवसरचना निधि योजना (एआईएफ)
16. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना (एटीएमए)
17. कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना (एसी और एबीसी)
18. किसान कॉल सेंटर (केसीसी)
19. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पीडीएमसी (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी)
20. पीएम-किसान

(3.) पंचायती राज मंत्रालय

21. ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (स्वामित्व)
22. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)
23. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)

(4.) आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

24. अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0)
25. प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए आवास-शहरी)
26. स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू)
27. स्मार्ट सिटी मिशन
28. पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

(5.) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

29. कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम)
30. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)
31. जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार (पश्चिम बंगाल जल निकायों का आरआरआर)
32. सतही लघु सिंचाई (एसएनआई)
33. नमामि गंगे
34. अटल भूजल योजना
35. जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
36. जल संचय जन भागीदारी (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

(6.) पशुपालन और डेयरी विभाग

37. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)
38. राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी)
39. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)
40. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)
41. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

(7.) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

42. एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)

43. बाल संरक्षण एवं सुरक्षा योजना
44. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीवीपी)
45. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
46. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0
47. महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण - वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)
- (8.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
48. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
49. राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)
50. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)
51. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई)
52. राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (NSCAEM)
- (9.) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
53. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण 1.0 (एसबीएम-जी 1.0)
54. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण 2.0 (एसबीएम-जी 2.0)
55. जल जीवन मिशन (जेजेएम)
- (10.) भूमि एवं संसाधन विभाग
56. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)
57. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम 2.0 (आईडब्ल्यूएमपी 2.0)
- (11.) शिक्षा मंत्रालय
58. मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) (पीएम पोषण)
59. समय शिक्षा
- (12.) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
60. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (पीएमयूवाई 2.0)
- (13.) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
61. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
- (14.) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
62. राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम: परिवहन
63. सारथी
64. वाहन

(15.) खान मंत्रालय

65. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)

(16.) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

66. पीएम-डेविन

67. पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) (सड़कें)

68. पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) (सड़क अवसंरचना के अलावा (ओटीआरआई)

69. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं

70. विशेष विकास पैकेज

(17.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

71. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)

72. प्रधानमंत्री-अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। (पीएम-अजय)

(18.) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

73. सुगम्य भारत अभियान - सुगम्यता भारत अभियान (एआईसी)

74. विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी)

(19.) लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)

75. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

(20.) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

76. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)

(21.) जहाजरानी मंत्रालय

77. जलमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम: जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी)

(22.) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

78. डिजिटल इंडिया - सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम - प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) उपलब्ध कराना

79. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीशा)

(23.) दूरसंचार विभाग

80. भारतनेट का उपयोग

(24.) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

81. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का कार्यान्वयन

- (25.) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
82. प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति
83. पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति
84. एमसीएम छात्रवृत्ति
- (26.) युवा मामले और खेल मंत्रालय
85. खेलो इंडिया
- (27.) कपड़ा मंत्रालय
86. सामर्थ योजना
- (28.) मत्स्य विभाग
87. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
- (29.) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
88. ई-श्रम पोर्टल
89. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस)
- (30.) फार्मास्यूटिकल्स विभाग
90. प्रधानमंत्री भारतीय जनजीवधि परियोजना (पीएमबीजेपी)
- (31.) संस्कृति मंत्रालय
91. राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल)
- (32.) वित्त मंत्रालय
92. अटल पेंशन योजना (एपीवाई)
93. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
94. सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए)
- (33.) पर्यटन मंत्रालय
95. तीर्थयात्रा कार्याकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)
- (34.) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)
96. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS)
97. एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)
- (35.) उपभोक्ता मामले विभाग
98. मूल्य ई निगरानी
99. बीआईएस
- (36) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

100. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

(37) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

101. प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान - पीएम-कुसुम

योजनाओं की निगरानी के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) , चौदहवें वित्त आयोग और पंद्रहवें वित्त आयोग से संबंधित आंकड़े भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

समिति द्वारा समीक्षा किए जाने वाले किसी भी केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम/योजना को शामिल करने या बाहर करने का निर्णय ग्रामीण विकास मंत्रालय पर निर्भर है।

Q-13016/02/2023-DISHA (E383152)

Government of India

Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Monitoring Division-DISHA)

Room No.-701, 11th Block,
CGO Complex, New Delhi-110003
Dated: 20th March, 2023

To,

All Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries of States/ UTs

Subject: Modification in Guidelines of DISHA Committees-reg.

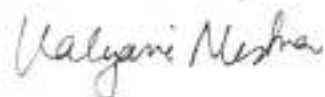
Sir/Madam,

This is to inform you that the competent authority has decided to amend existing provisions of DISHA Guidelines with immediate effect. The details of the amendments are enclosed at Annexure 1. The changes are highlighted in bold.

2. It is requested that the amendments may be circulated to all Members of Parliament, State Assemblies & Legislative Councils of your State/ UT and Member Secretaries of DISHA Committees for information and necessary action. In this regard, the earlier guidelines pertaining to DISHA Committees may be viewed in the DISHA dashboard at www.dishadashboard.nic.in to facilitate understanding of the changes effectuated in their entirety.

Yours faithfully,

Encl: as above.



(Kalyani Mishra)
Economic Advisor

Proposed amendments in District Development Coordination and Monitoring Committee (DISHA) guidelines

Amendment 1:

Para 3: Composition

The District Development Coordination and Monitoring Committee (DISHA) should have the following composition:

3.1 Chairperson: The Chairperson of the DISHA should be a Member of Parliament (Lok Sabha) elected from the district, nominated by the Ministry of Rural Development. The criteria for nomination should be in the following order:

- i.
 - i. Where there are more than one Member of Parliament (Lok Sabha) representing the district, the senior-most Member of Parliament (Lok Sabha) should be nominated as the Chairperson. The Warrant of Precedence (WoP) maintained by the Ministry of Home Affairs (MHA) should be followed in case of MPs who have not been nominated as Chairperson in any other district, which may result in exceptions.
 - ii. In case more than one district(s) fall in same Parliamentary Constituency (Lok Sabha), the MP from the Parliamentary Constituency will become Chairperson of District(s), the area of which fall entirely in the said Parliamentary Constituency.
 - iii. If the district has more than one Parliamentary Constituency (Lok Sabha) as its segments and the senior-most Member of Parliament (Lok Sabha) (*irrespective of seniority based on the criteria of number of tenures or WoP maintained by the MHA*) is made Chairperson of DISHA in some other district(s) (read with Note 2. below), the next senior-most Member of Parliament (Lok Sabha) should be the Chairperson.
 - iv. In case of same seniority, the Chairperson should be the Member of Parliament in whose Parliamentary Constituency the largest geographical area of the district falls.

Note

1. In case the MP from RS is senior following the Warrant of Precedence maintained by the Ministry of Home Affairs, he/ she may be made as Chairperson of the committee.
2. Member can be Chairperson of maximum three districts [excluding NE States, Jammu and Kashmir, Bastar (Chhattisgarh), Almora (Uttarakhand) and Mandi (Himachal Pradesh)].
3. In case senior most MP (*irrespective of seniority based on the criteria of number of tenures or WoP maintained by the MHA*) elected from district is not Chairperson of district, he/ she shall be invited as a Special invitee by the Member Secretary in consultation with the Chairperson of the district DISHA Committee.

Amendment 2: Relating to Nomination of Non-official members in District DISHA Committees

Following to be inserted before 3 (x)

Note: The nomination of members in the category of 3(ix) may be done by the Ministry of Rural Development in consultation with MP (LS) representing the District and MP (RS) opted for the District.

Amendment 3: (Proposed amendments in State Development Coordination and Monitoring Committee (DISHA) guidelines)

Para 3(iii) Composition:

Six MLAs to be nominated by the State Government out of which two should be from opposition parties subject to availability. And States where State Legislative Council also exists, three Members of Legislative Council (MLCs) to be nominated by the State Government out of which one should be from opposition party subject to availability.

Amendment 4: Relating to Nomination of Non-official members in State DISHA Committees -

Note 1: The nomination of members in the categories in 3(x) and 3(xi) may be done by the Ministry/ Minister of Rural Development in consultation with the MP (LS) and MP (RS) representing the State.

The existing content under Para 3 Note will be Note:2

* * *

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधन संशोधन 1:

पैरा 3: संरचना

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की संरचना निम्नानुसार होनी चाहिए:

3.1 अध्यक्ष: दिशा का अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित जिले से निर्वाचित संसद सदस्य (लोकसभा) होना चाहिए। नामांकन के लिए मानदंड निम्नलिखित क्रम में होने चाहिए:

i.

- i. जहां जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले एक से अधिक संसद सदस्य (लोकसभा) हैं, वहां सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य (लोकसभा) को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। जिन संसद सदस्यों को किसी अन्य जिले में अध्यक्ष के रूप में नामित नहीं किया गया है उनके मामले में गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) के पूर्वता अधिपत्र (डब्ल्यूओपी) का पालन किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अपवाद हो सकते हैं।
- ii. यदि एक से अधिक जिले एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (लोकसभा) में आते हैं, तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य जिले (जिलों) के अध्यक्ष बन जाएंगे, जिसका क्षेत्र पूरी तरह से उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है।
- iii. यदि जिले में एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (लोकसभा) हैं और सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य (लोकसभा) (कार्यकाल की संख्या या गृह मंत्रालय के पूर्वता अधिपत्र (डब्ल्यूओपी) के मानदंड के आधार पर वरिष्ठता के बावजूद) को किसी अन्य जिले में दिशा का अध्यक्ष बनाया जाता है (निम्नलिखित टिप्पणी 02 के साथ पढ़ा जाए)। तो संसद के अगले सबसे वरिष्ठ सदस्य (लोकसभा) को अध्यक्ष होना चाहिए।
- iv. उसी वरिष्ठता के मामले में, अध्यक्ष वही संसद सदस्य होना चाहिए जिसके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिले का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र पड़ता है।

टिप्पणी

1. यदि राज्यसभा से संसद सदस्य गृह मंत्रालय द्वारा रखे गए वरीयता वारंट का पालन करते हुए वरिष्ठ है, तो उसे समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
2. सदस्य अधिकतम तीन जिलों [पूर्वांतर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, बस्तर (छत्तीसगढ़), अल्मोड़ा (उत्तराखंड) और मंडी (हिमाचल प्रदेश) को छोड़कर] के अध्यक्ष हो सकते हैं।
3. यदि जिले से चुने गए वरिष्ठतम संसद सदस्य (कार्यकाल की संख्या या गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) के पूर्वता अधिपत्र (डब्ल्यूओपी) के मानदंडों के आधार पर वरिष्ठता के बावजूद) जिले के अध्यक्ष

नहीं हैं, तो वह जिला दिशा समिति के अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य सचिव द्वारा विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे।

संशोधन 2 जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन से संबंधित

3 (x) से पहले निम्नलिखित सम्मिलित किया जाना चाहिए

टिप्पणी: 3 (ix) की श्रेणी में सदस्यों का नामांकन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य (लोकसभा) और जिले के लिए चुने गए संसद सदस्य (राज्यसभा) के परामर्श से किया जा सकता है।

अनुबंध: 3 (राज्य विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधन)

पैरा 3 (iii) संरचना:

राज्य सरकार द्वारा छह विधायक नामित किए जाएंगे, जिनमें से दो विधायक विपक्षी दलों से होने चाहिए, यदि उपलब्ध हों; और जिन राज्यों में राज्य विधान परिषद भी मौजूद है, वहां विधान परिषद के तीन सदस्य (एमएलसी) राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने चाहिए, जिनमें से एक विपक्षी दल से होना चाहिए, यदि उपलब्ध हों।

संशोधन 4: जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन से संबंधित

टिप्पणी 1: 3 (x) और 3 (xi) श्रेणियों में सदस्यों का नामांकन मंत्रालय/ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य (लोकसभा) और संसद सदस्य (राज्यसभा) के परामर्श से किया जा सकता है।

पैरा 3 टिप्पणी के तहत मौजूदा सामग्री टिप्पणी: 2 होगा

Q-13016/02/2023-DISHA (E383152)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(DISHA Division)

Core 5-B, 2nd Floor,
India Habitat Centre,
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 15th April, 2025

To.

All Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries of States/ UTs

Subject: Modification in Guidelines of DISHA Committees-reg.

Sir/Madam,

This is to inform you that with the approval of the competent authority, certain provisions of DISHA Guidelines are amended with immediate effect. The details of the amendments are enclosed at **Annexure**. The changes are highlighted in bold.

2. It is requested that the amendments may be circulated to all Members of Parliament, State Assemblies & Legislative Councils of your State/ UT and Member Secretaries of DISHA Committees for information and necessary action. In this regard, the earlier guidelines pertaining to DISHA Committees may be viewed in the DISHA dashboard at <https://disha.gov.in/guidelines> to facilitate understanding of the changes effectuated in their entirety.

3. These amendments will supersede the respective provisions of existing DISHA Guidelines.

Encl: as above.

Yours faithfully,

K. Mishra

(Kalyani Mishra)
Economic Advisor
Tel: 011-24650535

A. AMENDMENT IN DISTRICT LEVEL DISHA COMMITTEE GUIDELINES

Amendment 1:

Para 3: Composition - Chairperson:

Note: 2. A Member of Parliament can be Chairperson of maximum three districts [excluding NE States, Jammu and Kashmir, Bastar and **Rajnandgaon** (Chhattisgarh), Almora (Uttarakhand) and Mandi (Himachal Pradesh)].

Amendment 2

Para 3. Composition - Members (iii): (Nomination of elected heads of ULBs in place of elected heads of GPs in urban districts)

iii. All Mayors / the Chairpersons of Municipalities (inclusive of at least one woman) and five elected heads of Gram Panchayat (inclusive of two women) to be nominated by the Chairperson and the other Members of Parliament in the Committee.

Provided that in case of mostly urban district, Chairperson and the other Members of Parliament in the Committee may nominate up to five elected heads of Urban Local Bodies (ULBs) (inclusive of two women) in place of five elected heads of Gram Panchayat (inclusive of two women) in proportion to area/ population.

Amendment 3

Para 3: Composition - Members (ix): (recommendations for nomination of other members by MPs (LS/RS))

(Reference: amendment in guidelines dated 20.03.2023)

Note: The nomination of members in the category of 3(ix) may be done by the Ministry of Rural Development in consultation with **Chairperson of the concerned district DISHA Committee.**

Amendment 4

Para 3: Composition - Co-Chairperson: (Nomination of nominated MP from Rajya Sabha):

(b) Rajya Sabha MP: One MP (Rajya Sabha) representing the State and exercising option to be associated with the district level Committee of that District/**one nominated MP from Rajya Sabha, exercising option to be associated with the one district level Committee of any State of Country, to be designated as Co-Chairpersons (on first come basis) by the Ministry of Rural Development.**

Amendment 5

Para 9. Expenditure for the meeting:

- c. The District Administration may incur expenditure on: light refreshments/lunch served during course of the meeting, arrangement of venue, furniture on rent, other logistics, minimum stationery, etc.
- d. Regarding infrastructural facilities required for the functioning of the DISHA, the facilities available with the district headquarter may be made use of.
- e. No expenditure should be allowed on items like computer, telephone, office accommodation, etc.
- f. The records of expenditure should be maintained at the district level and claims should be made by DRDA (or Zila Panchayat) based on actual preferably **within a year of date of meeting held**. (to be submitted in format I & II given in Annexure).

B. AMENDMENT IN STATE LEVEL DISHA COMMITTEE GUIDELINES

Amendment 6

Para 8: Expenditure for the Meeting

- c. The expenditure incurred by the State Government on light refreshments/ lunch served during the course of the meeting, arrangement of venue, furniture on rent, minimum stationery required, shall be reimbursable.
- d. For other infrastructural facilities as required for the meeting of the DISHA, the facilities available with the State may be made use of;
- e. Expenditure on items like computer, telephone, office accommodation etc., utilized during the course of meeting shall be borne by the State;
- f. The records of expenditure should be maintained at the State level and claims should be made by State Administration based on actuals **preferably within a year of date of meeting held**. (to be submitted in format I & II given in Annexure).

C. AMENDMENT IN STATE AND DISTRICT LEVEL DISHA COMMITTEE GUIDELINES

Amendment 6

Para 5: Programmes to be covered by DISHA.

DISHA will cover all non-statutory schemes of Government of India that are administered in general. However, the functions of schemes that have been specifically assigned under a statute cannot be assigned to any other committee for monitoring. In such cases, the extant statutory provisions will prevail. A suggestive list of Schemes is:

(1.) Department of Rural Development

1. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)
2. Deen Dayal Antyodaya Yojana -National Rural Livelihoods Mission (NRLM)
3. Deen Dayal Upadhyaya - Gramin Kaushalya Yojana (DDU-GKY)

4. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
5. National Social Assistance Programme (NSAP)
6. Pradhan Mantri Awas Yojna Gramin (PMAY-G)
7. Shyama Prasad Mukherji Urban Mission (SPMRM)
8. Rural Self Employment Training Institutes (RSETI)
9. Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)

(2.) Department of Agriculture & Farmers Welfare

10. Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)
11. Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)
12. Soil Health Card (SHC)
13. e-National Agriculture Markets (E-NAM)
14. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
15. Agriculture Infrastructure Funds Schemes (AIF)
16. Agricultural Technology Management Agency Scheme (ATMA)
17. Agriclinic and Agribusiness Centres Scheme (AC&ABC)
18. Kisan Call Center (KCC)
19. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana - PDMC (PMKSY-PDMC)
20. PMKISAN

(3.) Ministry of Panchayati Raj

21. Survey of Villages Abadi & Mapping with Improved Technology in Village Areas (SVAMITVA)
22. Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)
23. Gram Panchayat Development Plan (GPDP)

(4.) Ministry of Housing and Urban Affairs

24. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 (AMRUT 2.0)
25. Pradhan Mantri Awas Yojana (Housing for All - Urban)
26. Swachh Bharat Mission - Urban (SBM-U)
27. Smart Cities Mission
28. PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

(5.) Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

29. Command Area Development and Water Management Programme (CADWM)
30. Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)
31. Repair, Renovation & Restoration of Water bodies (RRR of WBs)
32. Surface Minor Irrigation (SMI)
33. Namami Gange
34. Atal Bhujal Yojana

(6.) Department of Animal Husbandry and Dairying

35. National Animal Disease Control Programme (NADCP)
36. National Artificial Insemination Programme (NAIP)
37. National Livestock Mission (NLM)
38. Rashtriya Gokul Mission (RGM)
39. National Programme for dairy development (NPDD)

(7.) Ministry of Women and Child Development

40. Integrated Child Development Scheme (ICDS)
41. Child Protection & Safety Scheme
42. Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)
43. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)

- 44. Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0
- 45. Safety and protection of women - One Stop Centre (OSC)

(8.) Ministry of Health & Family Welfare

- 46. National Health Mission(NHM)
- 47. National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)
- 48. Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)
- 49. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY)

(9.) Department of Drinking Water and Sanitation

- 50. Swachh Bharat Mission – Gramin 1.0 (SBM-G 1.0)
- 51. Swachh Bharat Mission – Gramin 2.0 (SBM-G 2.0)
- 52. Jal Jeevan Mission (JJM)

(10.) Department of Land & Resources

- 53. Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP)
- 54. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna (PMKSY) Integrated Watershed Management Programme 2.0(IWMP 2.0)

(11.) Ministry of Education

- 55. Mid-Day Meal Scheme (MDM) (PM Poshan)
- 56. Samagra Shiksha

(12.) Ministry of Petroleum & Natural Gases

- 57. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 (PMUY 2.0)

(13.) Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

- 58. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

(14.) Ministry of Road Transport and Highways.

- 59. Infrastructure related programmes like highways: Parivahan
- 60. SARATHI
- 61. VAHAN

(15.) Ministry of Mines

- 62. Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY)

(16.) Ministry of Development of North East Region.

- 63. PM-DevINE
- 64. North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) (Roads)
- 65. North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) (Other than Roads Infrastructure (OTRI))
- 66. Schemes of North Eastern Council
- 67. Special Development Package

(17.) Department of Social Justice and Empowerment

- 68. Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)
- 69. Pradhan Mantri - Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana. (PM-AJAY)

(18.) Department of Empowerment of Persons with Disabilities

- 70. Sugamya Bharat Abhiyan-Accessibility India campaign (AIC)
- 71. Unique Disability ID (UDID)

(19.) Ministry of Small & Medium Enterprise (MSME)

- 72. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)

(20.) Ministry of Statistics and Programme Implementation

- 73. Members of Parliament Local Area Development Scheme(MPLADS)

(21.) Ministry of Shipping

74. Infrastructure related programmes like Waterways: Jal Marg Vikas Project (JMVP)

(22.) Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)

75. Digital India - Public Internet Access Programme - providing Common Service Centre in each Gram Panchayat (CSC)

76. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA)

(23.) Department of Telecommunication

77. Utilization of BharatNet

(24.) Department of Food and Public Distribution

78. Implementation of National Food Security Act (NFSA)

(25.) Ministry of Minority Affairs

79. Pre-Matric scholarship

80. Post-Matric scholarship

81. MCM scholarship

(26.) Ministry of Youth Affairs and Sports

82. Khelo India

(27.) Ministry of Textiles

83. SAMARTH Scheme

(28.) Department of Fisheries

84. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)

(29.) Ministry of Labour & Employment

85. eShram portal

86. National Career Service (NCS)

(30.) Department of Pharmaceuticals

87. Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP)

(31.) Ministry of Culture

88. National Mission of Libraries (NML)

(32.) Ministry of Finance

89. Atal Pension Yojna (APY)

90. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)

91. Sukanya Samriddhi Account (SSA)

(33.) Ministry of Tourism

92. Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive (PRASHAD)

(34.) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)

93. Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)

94. One District One Product (ODOP)

(35.) Department of Consumer Affairs

95. Price Monitoring

96. BIS

NOTE: Committees are also provided the data related to Socio Economic and Caste Census (SECC), Fourteenth Finance Commission and Fifteenth Finance Commission for monitoring of schemes.

Decision to include or exclude any central sector programmes/schemes to be reviewed by the Committee rests with Ministry of Rural Development.

Amendment 8

Format I

Expenditure Certificate with item-wise breakup & Non Duplicity certificate

Item-wise breakup

Sl. No.	Details of items	Amount (in Rs.)
1.	Expenditure on refreshment etc.	
2.	Stationery expenses	
3.	Photocopy and other expenses	
4.	Any others items	
5.		
6.		
7.		
	Total	

It is certified that the above expenditure towards convening the State/District Level District Development Coordination & Monitoring Committee (DISHA) meeting of state.....district..... held on..... has not been claimed previously or from any other source.

Date:

Place:

Chief Development Officer /Project Director (DRDA)
Signature with stamp

Format II

BANK DETAILS (To which reimbursed amount is to be transferred)

S.N.	Descriptions	Bank Details
1	Name of Account Holder:	
2	Name of bank:	
3	Branch Name & Address:	
4	Account No.:	
5	IFSC Code:	

अनुलग्नक

A. जिला स्तरीय दिशा समिति के मार्गदर्शिका में संशोधन

संशोधन 1:

पैरा 3: संरचना - अध्यक्ष:

नोट 2: सदस्य अधिकतम तीन जिलों [पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, बस्तर, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़), अल्मोड़ा (उत्तराखंड) और मंडी (हिमाचल प्रदेश)] के अध्यक्ष हो सकते हैं।

संशोधन 2:

पैरा 3: संरचना - सदस्य (iii): (शहरी जिलों में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों के स्थान पर शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) के निर्वाचित प्रमुखों का नामांकन)

iii. सभी मेयर / नगरपालिकाओं के अध्यक्ष (कम से कम एक महिला सहित) और ग्राम पंचायतों के पांच निर्वाचित प्रमुखों (दो महिलाओं सहित) को समिति में अध्यक्ष और अन्य संसद सदस्यों द्वारा नामित किया जाएगा।
वर्तमान शहरी जिले के मामले में, समिति के अध्यक्ष और अन्य संसद सदस्य ग्राम पंचायत के पांच निर्वाचित प्रमुखों (दो महिलाओं सहित) के स्थान पर शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के पांच समकक्ष निर्वाचित सदस्यों (दो महिलाओं सहित) को नामित कर सकते हैं।

संशोधन 3:

पैरा 3: संरचना - सदस्य (ix): (सांसदों (लोकसभा/राज्यसभा) द्वारा अन्य सदस्यों के नामांकन के लिए सिफारिशें)

(संदर्भ: दिनांक 20.03.2023 के मार्गदर्शिका में संशोधन)

नोट: 3(ix) श्रेणी में सदस्यों का नामांकन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से किया जा सकता है।

संशोधन 4:

पैरा 3: संरचना - सह-अध्यक्ष: (राज्यसभा से नाम निर्देशित सांसद का नामांकन):

(ख) राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले और उस जिले की जिला स्तरीय समिति से जुड़ने के विकल्प का प्रयोग करने वाले किसी संसद सदस्य (राज्य सभा) / नाम निर्देशित सदस्य और देश के किसी भी राज्य के एक जिले की जिला स्तरीय समिति से जुड़ने के विकल्प का प्रयोग करने वाले किसी संसद सदस्य (राज्य सभा) (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सह-अध्यक्ष पदनामित किया जाएगा।

संशोधन 5:

पैरा 9. बैठक के लिए व्यय:

ग. जिला प्रशासन जलपान/दोपहर के भोजन स्थान की व्यवस्था अपेक्षित न्यूनतम लेखन सामग्री, किराये पर फर्नीचर, अन्य संभार-तंत्र इत्यादि पर दिशा बैठकों के लिए खर्च कर सकता है।

घ. दिशा के काम-काज के लिए अपेक्षित तथा आधारभूत सुविधाओं के लिए जिला मुख्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

ङ. कम्प्यूटर, फर्नीचर तथा टेलीफोन इत्यादि की खरीद या कार्यालय परिसर के किराये जैसी मदों पर कोई भी खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।

च. खर्च का ब्यौरा जिला स्तर पर रखा जाएगा तथा वास्तविक व्यय के आधार पर डीआरडीए (या जिला पंचायत) द्वारा दावा अधिमानतः बैठक की तारीख के एक वर्ष के भीतर (संलग्नक में दिए गए प्रारूप I & II के अनुसार) किया जाना चाहिए।

B. राज्य स्तरीय दिशा समिति के मार्गदर्शिका में संशोधन

संशोधन 6:

पैरा 8: बैठक के लिए व्यय

ग. बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा जलपान/दोपहर के भोजन स्थल की व्यवस्था, आवश्यक न्यूनतम स्टेशनरी, किराये पर फर्नीचर पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

घ. दिशा की बैठक के लिए यथा अपेक्षित अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए राज्य में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

ङ. बैठक के दौरान कम्प्यूटर, कार्यालय परिसर तथा टेलीफोन, इत्यादि जैसी मदों पर व्यय राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

च. खर्च का ब्यौरा राज्य स्तर पर रखा जाएगा तथा वास्तविक व्यय के आधार पर राज्य प्रशासन द्वारा दावा अधिमानतः बैठक की तारीख से एक वर्ष के भीतर (संलग्नक में दिए गए प्रारूप I & II के अनुसार) किया जाना चाहिए।

C. राज्य एवं जिला स्तरीय दिशा समिति के मार्गदर्शिका में संशोधन

संशोधन 7

पैरा 5: दिशा द्वारा कवर किए जाने वाले कार्यक्रम।

दिशा भारत सरकार की सभी गैर-संवैधानिक योजनाओं को कवर करेगी जो सामान्य रूप से प्रशासित की जाती हैं। हालाँकि, किसी कानून के तहत विशेष रूप से सौंपी गई योजनाओं के कार्यों को निगरानी के लिए किसी अन्य समिति को नहीं सौंपा जा सकता है। ऐसे मामलों में, मौजूदा वैधानिक प्रावधान ही प्रभावी होंगे। योजनाओं की एक सुझावात्मक सूची इस प्रकार है:

(1.) ग्रामीण विकास विभाग

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)
2. दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
3. दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
6. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)
7. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन (एसपीआरएमएम)
8. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)
9. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

(2.) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
11. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
12. मुदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)
13. ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)
14. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
15. कृषि अवसंरचना निधि योजना (एआईएफ)
16. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना (एटीएमए)
17. कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना (एसी और एबीसी)
18. किसान कॉल सेंटर (केसीसी)
19. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पीडीएमसी (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी)
20. पीएम-किसान

(3.) पंचायती राज मंत्रालय

21. ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (स्वामित्व)
22. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)
23. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)

(4.) आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

24. अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0)
25. प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए आवास-शहरी)
26. स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (एसबीएम-यू)
27. स्मार्ट सिटी मिशन
28. पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

(5.) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

29. कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम)
30. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)
31. जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार (पश्चिम बंगाल जल निकायों का आरआरआर)
32. सतही लघु सिंचाई (एसएमआई)
33. नमामि गंगे
34. अटल भूजल योजना

(6.) पशुपालन और डेयरी विभाग

35. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)
36. राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी)
37. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)
38. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)
39. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

(7.) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

- 40. एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)
- 41. बाल संरक्षण एवं सुरक्षा योजना
- 42. बेटों बचाओ बेटों पढ़ाओ (बीबीबीपी)
- 43. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
- 44. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0
- 45. महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण - वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)

(8.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- 46. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
- 47. राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)
- 48. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)
- 49. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई)

(9.) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

- 50. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण 1.0 (एसबीएम-जी 1.0)
- 51. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण 2.0 (एसबीएम-जी 2.0)
- 52. जल जीवन मिशन (जेजेएम)

(10.) भूमि एवं संसाधन विभाग

- 53. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)
- 54. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम 2.0 (आईडब्ल्यूएमपी 2.0)

(11.) शिक्षा मंत्रालय

- 55. मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) (पीएम पोषण)
- 56. समग्र शिक्षा

(12.) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

- 57. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (पीएमयूवाई 2.0)

(13.) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

- 58. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

(14.) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

- 59. राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम: परिवहन
- 60. सारथी
- 61. वाहन

(15.) खान मंत्रालय

- 62. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)

(16.) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

- 63. पीएम. डेविन
- 64. पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) (सड़कें)
- 65. पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) (सड़क अवसंरचना के अलावा (ओटीआरआई))
- 66. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं
- 67. विशेष विकास पैकेज

(17.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

68. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)

69. प्रधानमंत्री-अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। (पीएम-अजय)

(18.) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

70. सुगम्य भारत अभियान - सुगम्यता भारत अभियान (एआईसी)

71. विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी)

(19.) लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)

72. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

(20.) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

73. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)

(21.) जहाजरानी मंत्रालय

74. जलमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम; जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी)

(22.) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

75. डिजिटल इंडिया - सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम - प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) उपलब्ध कराना

76. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)

(23.) दूरसंचार विभाग

77. भारतनेट का उपयोग

(24.) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

78. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का कार्यान्वयन

(25.) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

79. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

80. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

81. एमसीएम छात्रवृत्ति

(26.) युवा मामले और खेल मंत्रालय

82. खेलो इंडिया

(27.) कपड़ा मंत्रालय

83. सामर्थ योजना

(28.) मत्स्य विभाग

84. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

(29.) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

85. ई-श्रम पोर्टल

86. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस)

(30.) फार्मास्यूटिकल्स विभाग

87. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

(31.) संस्कृति मंत्रालय

88. राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल)

(32.) वित्त मंत्रालय

89. अटल पेंशन योजना (एपीवाई)
90. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
91. सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए)

(33.) पर्यटन मंत्रालय

92. तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)

(34.) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)

93. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS)
94. एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)

(35.) उपभोक्ता मामले विभाग

95. मूल्य ई निगरानी
96. बीआईएस

योजनाओं की निगरानी के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), चौदहवें वित्त आयोग और पंद्रहवें वित्त आयोग से संबंधित आंकड़े भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

समिति द्वारा समीक्षा किए जाने वाले किसी भी केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम/योजना को शामिल करने या बाहर करने का निर्णय ग्रामीण विकास मंत्रालय पर निर्भर है।

संशोधन 8

प्रारूप 1

मदवार ब्योरा सहित व्यय प्रमाणपत्र और नॉन डुप्लीसिटी प्रमाणपत्र

आइटम वार ब्योरा

क्रम सं.	वस्तुओं का विवरण	राशि (रु. में)
1.	जलपान आदि पर व्यय.	
2.	स्टेशनरी व्यय	
3.	फोटोकॉपी और अन्य खर्च	
4.	कोई अन्य आइटम	
5.		
6.		
7.		
	कुल	

यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक को आयोजित राज्य/..... जिला स्तरीय जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक के आयोजन हेतु उपरोक्त व्यय का दावा पहले या किसी अन्य स्रोत से नहीं किया गया है।

तारीख:

स्थान:

मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक (डीआरडीए)

स्टाम्प सहित हस्ताक्षर

प्रारूप II

बैंक विवरण (जिस बैंक खाते में प्रतिपूर्ति राशि स्थानांतरित की जानी है)

क्रम सं.	विवरण	बैंक विवरण
1	खाता धारक का नाम:	
2	बैंक का नाम:	
3	शाखा का नाम और पता:	
4	खाता नंबर...	
5	आईएफएससी कोड:	